मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय

मध्यप्रदेश कृषि-उपज मण्डी विधेयक, १९७०

(क्रमांक १८ सन् १९७०)

के सम्बन्ध में

प्रवर समिति का प्रतिवेदन

(प्रवर समिति द्वारा यथासंशोधित विधेयक सहित)

भोपाल
शासन केन्द्रीय मुद्रणालय
१९७१

मध्यप्रदेश कृषि-उपज मंडी विधेयक, १९७०

(क्रमांक १८, सन् १९७०)

प्रवर समिति का गठन

सभापति

१. श्री बलवन्त सांगले

सदस्य

२. श्री मुन्नालाल शुक्ल
३. डा. सत्यनारायण त्रिपाठी
४. श्री धन्नालाल चौधरी
५. श्री धनसाय डेराह्
६. श्री नरेन्द्रसिंह जू देव
७. श्री जगदीश प्रसाद तिवारी
८. श्री काल्या सिंह
९. श्री रामानन्द सिंह
१०. श्री रामसेवक
११. श्री मुल्तानमल सुराना
१२. श्री बृजराजसिंह
१३. श्री मदनलाल सोनगरा
१४. श्री भागवत साबू, कृषि मंत्री,
१५. श्री कृष्णपाल सिंह, विधि मंत्री

सचिवालय

१. श्री मदनगोपाल, सचिव.
२. श्री नरेंद्रसिंह, अवर सचिव.

प्रवर समिति का प्रतिवेदन

मैं, उस प्रवर समिति का सभापति, जिसे मध्यप्रदेश कृषि-उपज मण्डी विधेयक, १९७० (क्रमांक १८ सन् १९७०) निर्दिष्ट किया गया था, उसकी ओर से प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिये प्राधिकृत किये जाने पर, उसके इस प्रतिवेदन को, प्रवर समिति द्वारा यथा संशोधित विधेयक के साथ प्रस्तुत करता हूं.

२. विधेयक* विधान सभा में दिनांक १६ सितम्बर, १९७० को पुर:स्थापित किया गया था तथा दिनांक २२ सितम्बर, १९७० को श्री भागवत साबू, कृषि मंत्रि द्वारा विधेयक प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने का प्रस्ताव किया गया जिस पर सदन में विचार किया गया और उसी दिन स्वीकार किया गया.

३. सभा द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की कोई अवधि निश्चित नहीं की गई थी और मध्यप्रदेश विधान सभा नियमावली के नियम ७३ (१) के अनुसार समिति द्वारा आगामी सत्रों में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाना था किन्तु समिति के लिये थोड़े समय में कार्य पूरा करना संभव न हो सका अत: सभा द्वारा दिनांक २४ दिसम्बर, १९७० को आगामी सत्र के अंतिम दिवस तक तथा पुन: दिनांक १९ मार्च, १९७१ को प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में आगामी सत्र के प्रथम दिवस तक की वृद्धि की गई.

४. दिनांक ७ अक्टूबर, १९७० को हुई समिति की प्रथम बैठक में समिति ने यह निर्णय लिया कि विधेयक में रुचि रखने वाले व्यक्तियों अथवा निकायों से दिनांक १० नवम्बर, १९७० तक उनके सुझाव या आपत्तियां, यदि कोई हों, आमंत्रित की जायें तथा यदि कोई व्यक्ति या निकाय सुझाव या आपत्तियां भेजने के अतिरिक्त मौखिक रूप से समिति के समक्ष साक्ष्य देने के भी इच्छुक हों तो लिखित रूप में इस आशय का आवेदन करें. इस संबंध में एक प्रेस विज्ञप्ति निकाली गई.

५. समिति को विभिन्न व्यक्तियों तथा निकायों से विधेयक के संबंध में सुझावों तथा आपत्तियों के ज्ञापन प्राप्त हुए जिनके नामों की सूची परिशिष्ट एक में दी गई है.

६. समिति की कुल १३ बैठकें दिनांक ७ तथा १० अक्टूबर, १४ दिसम्बर, १९७०, १ तथा १३ फरवरी, १७ तथा १८ अप्रैल, १० मई, ९ जून, २० जुलाई, ३० तथा ३१ अगस्त तथा ८ सितम्बर, १९७१ को हुई जिनमें समिति ने विधेयक तथा उस पर प्राप्त सुझाव एवं आपत्तियों पर विचार किया.

७. समिति ने दिनांक ५ से ८ जनवरी, १९७१ तक रायपुर, भाटापारा, दुर्ग एवं जगदलपुर तथा दिनांक १५, १६, १७ तथा १८ अप्रैल, १९७१ को क्रमश: इन्दौर, गुना, अशोकनगर, एवं सागर स्थित कृषि-उपज मण्डियों का निरीक्षण किया तथा वहां उपस्थित साक्षियों का साक्ष्य लिया. समिति के समक्ष साक्ष्य देने वाले व्यक्तियों के नाम तथा साक्ष्य का दिनांक परिशिष्ट दो में दिया गया है.

८. समिति ने प्रदेश से बाहर दिनांक २३ से २८ जून, १९७१ हरियाणा एव पंजाब राज्यों तथा दिनांक ४ से १० अगस्त, १९७१ तक तामिलनाडु एवं केरल राज्यों में स्थित प्रमुख कृषि उपज मण्डियों का (जिनके नाम परिशिष्ट तीन में दिये गये है), अध्ययन दौरा किया तथा वहां के संबंधित अधिकारियों से चर्चा भी की.

९. समिति ने दिनांक ३० एवं ३१ अगस्त, तथा ८ सितम्बर, १९७१ को हुई बैठकों में विधेयक पर खण्डश: विचार किया.

१०. दिनांक ८ सितम्बर, १९७१ को हुई बैठक में समिति ने सभापति को विधेयक के विभिन्न खंडों में प्रस्तावित संशोधनों का प्रारूप तथा प्रतिवेदन अनुमोदित कर उसे विधान सभा में प्रस्तुत करने के लिये प्राधिकृत किया.

११. विधेयक में प्रस्तावित प्रमुख परिवर्तनों के संबंध में समिति के विचार आगे की कंडिकाओं म दिये गये है.

---

*"मध्यप्रदेश राजपत्र" दिनांक २६ सितम्बर, १९७० में हिन्दी में प्रकाशित.

१२. समिति को विधेयक की अनुसूची के भाग-चार तथा ग्यारह में क्रमशः तिलहन तथा खाने योग्य तेल व घास तथा चारा के अन्त में शब्द तथा अंक '१३ कोढा' व 'भूसा' बढ़ाया जाना उचित प्रतीत हुआ. तदनुसार अनुसूची में संशोधन किया गया .

१३. खण्ड—११.—समिति का मत था कि खंड के वर्तमान उपबन्धों के अनुसार कृषि उपज मंडी समितियों के सीधे निर्वाचन की प्रक्रिया बहुत विस्तृत हो जायेगी जिसमें विधान सभा के लिये होने वाले आम चुनाव जैसी तैयारियां करनी पड़ेंगी. अतः समिति ने विचार किया कि मंडी समिति के सदस्यों के निर्वाचन के लिये उक्त क्षेत्र की पंचायतों के पंचों, कृषि सेवा सहकारी समितियों एवं अन्य कृषि सम्बन्धी अन्य सहकारी समितियों के अध्यक्षों तथा उपाध्यक्षों तक ही मतदान का अधिकार सीमित रखा जाय.

तदनुसार समिति ने उपखड (१) में संशोधन किया.

समिति इस पक्ष में न थी कि मण्डी समिति की पदावधि समाप्त होने पर बहिर्गामी सदस्यों को नवगठित मण्डी समिति की प्रथम साधारण सम्मिलन के प्रारंभ होने तक पद पर बने रहने की छूट दी जाय. समिति का मत था कि मण्डी समिति के बहिर्गामी सदस्य उनकी पदावधि समाप्त होने पर केवल छःमास तक अथवा नवगठित मण्डी समिति का प्रथम साधारण सम्मिलन प्रारंभ होने तक जो भी पूर्वतर हो अपना पद धारण किये रहे. समिति का अनुमान था कि इस प्रकार के प्रावधान से मंडी समिति का पुनगठंन शीघ्र हो जायगा और यदि ऐसा न भी हुआ तो बहिर्गामी सदस्यों के निहित स्वार्थ समाप्त हो जायेंगे.

समिति ने ऐसी स्थिति की भी कल्पना की कि एक मण्डी समिति दूसरी समिति के आने के पूर्व विघटित हो जाय और उस स्थिति के लियें भी मंडी के कार्य को सूचारु रूप से चलाये जाते रहने का समुचित प्रावधान करना आवश्यक समझा.

१४. समिति का मत था कि किसी मण्डी समितियों के विघटित हो जाने पर उसका कार्यभार वहन करने के लिये शासन द्वारा भार-साधक पदाधिकारी या भारसाधक समिति की नियुक्ति की जाया करे जो शासन के नियंत्र णों में रहते हुये मण्डी समिति के समस्त कर्तव्यों का निर्वहन करे.

तदनुसार खण्ड में संशोधन किया गया और नया खण्ड ११-क जोड़ा गया.

१५. खण्ड—१४.—इस खण्ड में अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के विरुद्ध प्राप्त अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हेतु सम्मिलन बुलाये जाने की अवधि विहित नहीं की गईहै जिससे समिति ने अनुभव किया कि इस प्रयोजन हेतु सम्मिलन का बुलाया जाना अनिश्चित रह जाता है. अतः समिति का मत था कि अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव की प्राप्ति से ३० दिन के भीतर उस पर चर्चा हेतु सम्मिलन बुलाया जानाचाहिये.

तदनुसार खण्ड में संशोधन किया गया .

१६. खण्ड—१७.—समिति ने मंडी समिति को अनुज्ञप्ति मंजूर करने हेतु विचार करते समय क्रेताओं की हैसियत का अनुमान लगाने के लिये उनसे नगद या बैंक गारंटी के रूप में प्रतिभूति लेना अनावश्यक समझा.

तदनुसार खण्ड में संशोधन किया गया.

१७. खण्ड—१९.—समिति यह अनुभव करती है कि मंडी क्षेत्र में लाई गई या बेची गई प्रत्येक अधि-सूचित कृषि उपज के मूल्य के प्रत्येक सौ रुपये पर मंडी समिति द्वारा उद्ग्रहीत की जाने वाली मंडी फीस की न्यूनतम दर पच्चीस पैसे और अधिकतम दर पचास पैसे अपेक्षाकृत कम है. अतः मण्डी समिति को ज्यादा सोल्वेंन्ट बनानें की दृष्टि से यह दर कम से कम पचास पैसे और अधिक से अधिक एक रुपया की जानी चाहिए.

खण्ड—२०.—समिति ने लेखे रजिस्टर या दस्तावेजों के साथ अभिग्रहीत करने का प्रावधान उचित नहीं माना किन्तु फीस के सर्वोत्तम विवेक वुद्धि के अनुसार निर्धारण करने का प्रावधान करना उचित समझा. तद्नुसार उपखंड (३) तथा (६) विलोपित किये गये और नया खंड २०-क जोड़ा गया.

उपखंड में तद्नुसार संशोधन किया गया.

१८. खण्ड—३१.—समिति का यह विचार है कि इस खण्ड के उपखंड (२) में यह शर्त जोड़ी जाय कि अध्यक्ष द्वारा किया गया निलम्बन आदेश प्रसारित होने से सात दिनों के भीतर मण्डी समिति से संपुष्ट करवाया जाना चाहिए अन्यथा अवधि के समाप्त होने पर वह आदेश निरस्त माना जाना चाहिये.

उपखण्ड तद्नुसार संशोधित किया गया.

१९. खण्ड ३२.—समिति का मत था कि खण्ड में अपील का अधिकार संचालक के बजाय कलेक्टर को दिया जाना अधिक उपयुक्त होगा. समिति ने यह भी अनुभव किया कि अपील सुनने वाले प्राधिकारी को प्रश्नगत आदेश को स्थगित करने की शक्ति प्राप्त होना चाहिये.

तद्नुसार खण्ड में संशोधन कर दिया गया.

२०. खण्ड—३९.—समिति का विचार है कि बोर्ड को सशक्त और स्वतंत्र रूप से कार्य करने में सक्षम बनाया जाय.

तद्नुसार उपखंडों का पुनरीक्षण कर दिया गया है.

२१. समिति द्वारा किये गये अन्य संशोधन गोड या आनुषंगिक स्वरूप के हैं तथा स्वतः स्पष्ट है.

२२. प्रवर समिति सिफारिश करती है कि विधेयक उसके द्वारा यथासंशोधित रूप में पारित किया जाय.

बलवन्त सांगले,
सभापति.

परिशिष्ट—एक

(प्रतिवेदन की कण्डिका ५ देखिये)

उन व्यक्तियों एवं संस्थाओं के नाम जिनसे सुझाव आपत्तियां प्राप्त हुई थीं.

अनुक्रमांक	व्यक्ति/संस्था का नाम व पता
(१)	(२)
१	सहमंत्री, मध्यप्रदेश अनाज तिलहन व्यापारी महासंघ, भोपाल
२	उपाध्यक्ष, सागर अनाज एवं तिलहन व्यापारी संघ, तिलकगंज, सागर
३	अध्यक्ष, मंडी व्यापारी एसोसियेशन, देवास
४	प्रेसीडेन्ट, ग्रेन मर्चेन्ट्स एसोसियेशन, शाहपुरा मिटौली, जबलपुर
५	श्री जगदीश प्रसाद दीक्षित, सदरवार्ड, भाटापारा, जिला रायपुर
६	श्री घनश्याम शरण भार्गव, अधिवक्ता, सिरोंज
७	अध्यक्ष, ग्रेन मर्चेन्ट्स एसोसियेशन, बड़नगर
८	मंत्री, अनाज व तिलहन व्यापारी संघ, भाटापारा (रायपुर)
९	श्री कन्हैयालाल मंगल, सिरोंज एवं व्यापारीगण, सिरोंज जिला विदिशा
१०	अध्यक्ष, व्यापारी संघ, नीमच
११	अध्यक्ष, ग्रेन एन्ड सीड्स मर्चेन्ट्स एसोसियेशन, धानमन्डी, रतलाम
१२	मंत्री, किराना व्यापारी संघ, सागर.
१३	मंत्री, अनाज तिलहन व्यापारी संघ, गंजबासोदा, जिला विदिशा
१४	अध्यक्ष, काटन मर्चेन्ट्स एसोसियशन, उज्जैन तथा मध्यप्रदेश एवं राजस्थान के क्षेत्रीय व्यापारियों व कपास उत्पादक कृषकों का सम्मेलन उज्जैन
१५	कृषि-उपज मन्डी, मन्दसौर के व्यापारीगण, मन्दसौर
१६	मंत्री, अनाज एवं तिलहन व्यापारी संघ, जबलपुर
१७	अध्यक्ष, अनाज तिलहन व्यापारी संघ, विदिशा
१८	अध्यक्ष, कृषि-उपज मन्डी समिति, अशोकनगर, (गुना)
१९	मंत्री, व्यापार समिति, दाल बाजार, लश्कर
२०	मंत्री, ग्रेन मर्चेन्ट्स एसोसियशन, गाडरवारा।
२१	सेक्रेटरी, ग्रेन मर्चेन्ट्स एसोसियशन, गुना.
२२	सुगनचन्द राधेश्याम, मुरैना
२३	संयोजक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि मंडी व्यापारी सम्मेलन, इन्दौर
२४	अध्यक्ष, इन्दौर अनाज तिलहन व्यापारी संघ संयोगिता गंज मंडी, इन्दौर-१
२५	महामंत्री, अनाज महासंघ, चांदा
२६	श्री ऋषभकुमार, भूतपूर्व विधायक तथा अध्यक्ष, कृषि उपज मंडी, खुरई
२७	अध्यक्ष, कृषि उपज मन्डी समिति, गुना

(१)	(२)
२८	अध्यक्ष, कृषि-उपज मण्डी समिति, रीवा
२९	अध्यक्ष, ग्रेन मर्चेन्ट्स एसोसियशन, सैलाना
३०	अध्यक्ष, आढ़तिया एसोसियशन, बुरहानपुर
३१	श्री धनलाल कटरे, ग्राम बोरी, पोष्ट लिंगा, तहसील व जिला बालाघाट
३२	अध्यक्ष, पूर्व निमाड़ चेम्बर आफ कामर्स, खण्डवा

संस्थायें

१	गल्ला व्यापारी संघ, भोपाल
२	भोपाल ग्रेन एण्ड आयल सीड मर्चेन्टस एसोसियेशन, महारानी लक्ष्मीगंज, भोपाल
३	अध्यक्ष, ग्रेन मर्चेन्टस एसोसियेशन, बड़नगर, उज्जैन
४	अध्यक्ष, व्यापारी एसोसियेशन, सेंधवा
५	ग्रेन एन्ड आयल सीडस मर्चेन्ट एसोसियेशन, शिवपुरी
६	अध्यक्ष, उद्योग एवं व्यापार समिति रजि. डबरा
७	अध्यक्ष, नर्वदा संभाग अनाज तिलहन व्यापारी संघ, पिपरिया
८	ग्रेन मर्चेन्टस एसोसियेशन, खुरई
९	ग्रेन मर्चेन्टस एसोसियेशन, गुना,
१०	गल्ला व्यापारी संघ, भोपाल
११	व्यापारी संघ, नीमच
१२	अध्यक्ष, अनाज तिलहन व्यापारी संघ, इटारसी
१३	अनाज व्यापारी संघ, करेली
१४	प्रधान मंत्री, व्यापारी मंडल, भिन्ड
१५	मंत्री, अनाज व्यापार संघ, सिवनी
१६	अध्यक्ष, व्यापारी मण्डल, छिन्दवाड़ा
१७	अध्य , ग्रेन एण्ड सीड मर्चेन्टस एसोसियेशन, धार
१८	अध्यक्ष, गल्ला मंडी व्यापार संघ, टीकमगढ़
१९	अध्यक्ष, ग्रेन मर्चेन्टस एसोसियेशन, शुजालपुर
२०	मंत्री, छत्तीसगढ़, राइस मिल्स एसोसियेशन, रायपुर
२१	आढ़तिया एसोसियेशन, भाटापारा, रायपुर
२२	ग्रेन मर्चेन्ट एसोसियेशन, सैलाना
२३	गल्ला तिलहन व्यापारी संघ, सतना

परिशिष्ट—दो

(प्रतिवेदन की कंडिका ७ देखिये)

समिति के समक्ष साक्ष्य देने वाले व्यक्तियों / संस्थाओं के नामों की सूची

अनुक्रमांक (१)	व्यक्ति / संस्थाका नाम (२)	साक्ष्य का दिनांक. (३)
१	ग्रेन एन्ड आयल सीडस मर्चेन्टस एसोसियशन, रायपुर	५ जनवरी १९७१
	प्रतिनिधिः—	
	(क) श्री बृजदास बावरिया, मंत्री	..
	(ख) श्री महावीर अग्रवाल, संयुक्त मंत्री ..	..
	(ग) श्री कुवर जी भाई उपाध्यक्ष	..
	(घ) श्री राघोजी भाई सदस्य कार्यकारिणी ..	..
	(ङ) श्री घारसी भाई, सदस्य कार्यकारिणी ..	..
२	चेम्बर आफ कामर्स एन्ड इन्डस्ट्रीज, रायपुर	५ जनवरी १९७१
	प्रतिनिधिः—	
	(क) श्री मोहनलाल नत्थानी, अध्यक्ष	..
	(ख) श्री पदमचंद	..
	(ग) श्री नाथमल बीरबल	..
	(घ) श्री कन्हैयालाल संतोषकुमार	..
	(ङ) श्री लूनकरण पारख, मंत्री	..
३	श्री ग्यारसीलाल अग्रवाल, अध्यक्ष व्यापारी संघ, भाटापारा ..	६ जनवरी १९७१
४	श्री आशाराम चांडक, अध्यक्ष मील एसोसियशन, भाटापारा ..	"
५	श्री शिवप्रसाद अग्रवाल, सदस्य व्यापारी संघ, भाटापारा ..	"
६	श्री रूपचंद भूपाणिया, मंत्री, व्यापारी संघ, भाटापारा ..	"
७	श्री मातादीन अग्रवाल, सदस्य व्यापारी संघ, भाटापारा ..	"
८	श्री सुखनाथ प्रसाद शर्मा, अध्यक्ष आढतिया संघ, भाटापारा ..	"
९	श्री जगतनारायण अग्रवाल, सदस्य आढतिया संघ, भाटापारा ..	"
१०	श्री जगदीशप्रसाद दीक्षित, सदस्य आढतिया संघ, भाटापारा ..	"
११	श्री बालाराम यदु, कृषक, अकलतरा	"
१२	श्री कलीम असरफ खाँ, कृषक, भाटापारा	"
१३	श्री मन्नूलाल मिश्र, भूतपूर्व अध्यक्ष, मंडी समिति भाटापारा ..	"
१४	श्री प्रेम महावर जगदीश राइस मिल, जगदलपुर ..	७ जनवरी १९७१
१५	श्री हेमराज सेठी, गणेश ट्रेडिंग कं., जगदलपुर	"
१६	श्री इरसनदास हेमानी, जगदलपुर ट्रेडिंग कं., जगदलपुर ..	"
१७	श्री चिरोंजीलाल महावर, जगदीश मिल, धमतरी	"
१८	श्री रसिकलाल रतीलाल	"
१९	श्री नरोत्तम हेमानी	"
२०	श्री त्रिलोकीनाथ अग्रवाल	"

(१)	(२)	(३)
२१	श्री पूनमचंद गुप्ता, अध्यक्ष, जूनियर चेम्बर आफ कामर्स खंडवा	१५ अप्रैल १९७१
२२	श्री चिरंजीलाल गुप्ता, संयोजक म.प्र. राज्य कृषि मंडी व्यापारी सम्मेलन, इन्दौर तथा अध्यक्ष मंडी समिति, इन्दौर.	"
२३	श्री मूलचंद जैन, मंत्री, मंडी समिति, इन्दौर	"
२४	श्री कल्याणसिंह परिहार, कृषक प्रतिनिधि, इन्दौर	"
२५	श्री प्रभातीलाल आढ़तिया, प्रतिनिधि, इन्दौर	"
२६	श्री रामरतन शुक्ला, कृषक प्रतिनिधि, इन्दौर	"
२७	श्री महावीरप्रसाद पांडया, व्यापारी प्रतिनिधि, गुना	१६ अप्रैल १९७१
२८	श्री सूरजमल पाठनी, व्यापारी प्रतिनिधि.	"
२९	श्री सुरेन्द्र कुमार लुम्बा, कृषक प्रतिनिधि	"
३०	श्री शंकरसिंह कृषक प्रतिनिधि	"
३१	श्री भंवरलाल, कृषक प्रतिनिधि	"
३२	श्री अर्जुनसिंह, कृषक प्रतिनिधि	"
३३	श्री भगवानलाल, सदस्य मंडी समिति, गुना	"
३४	श्रीं यशवंतराव लुम्बा, अध्यक्ष, मंडी समिति गुना ..	"
३५	श्री राजेन्द्रसिंह सिसोदिया, (कृषक) सदस्य मंडी समिति, गुना ..	"
३६	श्री राव चन्दन सिंह, विधायक जिला गुना	"
३७	श्री ताराचंद चौधरी, व्यापारी प्रतिनिधि, अशोकनगर ..	१७ अप्रैल १९७१
३८	श्री हरीराम अग्रवाल, व्यापारी प्रतिनिधि, अशोकनगर ..	"
३९	श्री अमोलकचन्द, व्यापारी प्रतिनिधि, अशोकनगर	"
४०	श्री श्यामलाल गंधी, व्यापागी प्रतिनिधि, अशोकनगर ..	"
४१	श्री ऊधवसिंह, अध्यक्ष मंडी समिति (कृषक प्रतिनिधि), अशोकनगर	"
४२	श्री महाराजसिंह, उपाध्यक्ष, मंडी समिति (कृषक प्रतिनिध), अशोकनगर	"
४३	श्री नारायणसिंह, सदस्य	,
४४	श्री अनन्तसिंह, सदस्य	"
४५	श्री दुलीचंद अहरवार, भूतपूर्व विधायक, अशोकनगर ..	"
४६	श्री हरिश्चन्द्र विलाला, सचिव, ग्रेन मर्चेन्ट एसोसियेशन (व्यापारी प्रतिनिधि), अशोकनगर.	"
४७	श्री चन्द्रभान सिंह चौहान, भूतपूर्व विधायक, जिला गुना ..	"
४८	श्री भगतसिंह भापैल, अध्यक्ष मंडी समिति, सागर	१८ अप्रैल १९७१
४९	श्रीमंत सेठ ऋषभ कुमार, भूतपूर्व विधायक, जिला सगार ..	"
५०	श्री जय विजयसिंह, कृषक प्रतिनिधि, सागर	"
५१	श्री जीवनलाल, अध्यक्ष, अनाज एवं तिलहन व्यापारी संघ, सागर	"
५२	श्री प्रकाशचन्द, उपाध्यक्ष, अनाज एवं तिलहन व्यापारी संघ, सागर]	"
५३	सचिव अनाज एवं तिलहन व्यापारी संघ, सागर	"
५४	श्री शंकरजी, व्यापारी प्रतिनिधि, सागर	"
५५	श्री दमीसिंह यादव, कृषि पंडित, सागर	"

परिशिष्ट तीन

(प्रतिवेदन की कण्डिका ८ देखिये)

प्रवर समिति द्वारा निम्नलिखित कृषि उपज-मण्डियों का निरीक्षण किया गया

(क) १. हिरियाणा.

(१) करनाल
(२) कैथल
(३) पेहोवा
(४) थानेसर
(५) शाहवाद
(६) चण्डीगढ़

२. पंजाब

(१) चण्डीगढ़
(२) अम्वाला
(३) रोपड़
(४) नांगल
(५) सिमराला
(६) लुधियाना
(७) जलंधर
(८) रैया
(९) अमृतसर
(१०) तरनतारन.

(ख) ३. तामिलनाडु

(१) मद्रास
(२) तिरूवण्णामेले (नार्थ अर्काट)
(३) रामनाथपुरम्
(४) मदुराई

४. केरल

(१) त्रिवेन्द्रम
(२) कोचीन

(प्रवर समिति द्वारा यथा संशोधित)

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक १८ सन् १९७०

(प्रवर समिति द्वारा विलोपित किये गये अंशों को वर्ग कोष्ठकों में बन्द कर दिया गया है और उसके द्वारा जोड़े गये और बदले गये अंशों को रेखांकित कर दिया गया है.)

मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी विधेयक, १९७०

विषय-सूची

खण्ड

पहला अध्याय—प्रारंभिक

१ संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारम्भ .. .. ..
२ परिभाषाएं .. ..

दूसरा अध्याय—मण्डियों की स्थापना

३ विनिर्दिष्ट क्षेत्र में अधिसूचित कृषि उपज के विपणन का विनियमन करने के आशय की अधिसूचना.
४ मण्डी की स्थापना तथा उसमें अधिसूचित कृषि उपज के विपणन का विनियमन
५ मण्डी प्रांगण तथा मूल मण्डी .. .. ..
६ अधिसूचित कृषि उपज के विपणन का नियंत्रण .. ..

तीसरा अध्याय—मण्डी समितियों का गठन

७ मण्डी समिति की स्थापना तथा उसका निगमन .. ..
८ स्थानीय प्राधिकारी की संपत्ति का मण्डी समिति में निहित होना ..
९ बोर्ड या मण्डी समिति के लिये भूमि का अर्जन] ..
१० प्रथम मण्डी समिति का गठन होने तक के लिये भारसाधक अधिकारी या भारसाधक समिति की नियुक्ति.
११ मण्डी समितियों का गठन .. .. ..
१२ मण्डी समिति के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष .. ..
१३ अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के पद की रिक्ति] .. ..
१४ अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव .. ..

चौथा अध्याय—मण्डी समितियों के काम काज का संचालन और उसकी शक्तियां तथा कर्त्तव्य

१५ मण्डी समिति के सम्मिलन आदि .. .. ..
१६ अध्यक्ष मण्डी समिति के सम्मिलनों की अध्यक्षता करेगा .. ..
१७ मण्डी समिति की शक्तियां तथा कर्त्तव्य .. ..
१८ उप समितियों की नियुक्ति और शक्तियों का प्रत्यायोजन ..
१९ मण्डी फीस के उद्ग्रहण की शक्ति .. .. ..

खण्ड

२० लेखे पेश करने हेतु आदेश देने की शक्ति और प्रवेश, निरीक्षण तथा अभिग्रहण की शक्तियां.

२०—क फीस का सर्वोत्तम विवेक, बुद्धि के अनुसार निर्धारण .

२१ गाड़ियों को रोकने की शक्ति.

२२ उधार लेने की शक्ति.

२३ संविदाएं करने की रीति.

पांचवां अध्याय—मण्डी समिति का कर्मचारीवृन्द

२४ राज्य विपणन सेवा का गठन.

२५ सचिव.

२६ राज्य विपणन सेवा के अन्य अधिकारी.

२७ राज्य विपणन सेवा का गठन होने तक के लिये सचिव तथा अन्य अधिकारियों की नियुक्ति.

२८ कर्मचारीवृन्द की नियुक्ति.

छठवां अध्याय—व्यापार का विनियमन।

२९ मण्डी क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यक्तियों का विनियमन.

३० अनुज्ञप्तियां मंजूर करने की शक्ति.

३१ अनुज्ञप्तियां रद्द करने या निलंबित करने की शक्ति.

३२ अपील.

३३ इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन विहित व्यापारिक छूटों से भिन्न व्यापारिक छूटों का प्रतिषेध.

३४ अधिसूचित कृषि उपज का मण्डियों में विक्रय.

३५ क्रय तथा विक्रय की शर्तें.

सातवां अध्याय—मण्डी समिति निधि

३६ मण्डी समिति निधि.

३७ मण्डी समिति निधि का उपयोजन.

आठवां अध्याय मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड.

३८ मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड.

३९ बोर्ड की रचना.

४० पदावधि.

४१ राज्य विपणन विकास निधि.

४२ प्रयोजन जिनके लिये मध्यप्रदेश राज्य विपणन विकास निधि व्यय की जायगी.

खण्ड

४३ उधार लेने की बोर्ड की शक्ति.
४४ बोर्ड के कर्तव्य तथा कृत्य.
४५ बोर्ड के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की शक्तियां.

नवां अध्याय—शास्ति

४६ धारा ६ या धारा २६ के उल्लंघन के लिये शास्ति
४७ अन्य धाराओं के उल्लंघन के लिये शास्ति
४८ मण्डी समिति तथा अध्यक्ष की, शास्तियां अधिरोपित करने की शक्तियां
४९ अनुज्ञप्ति-फीस की वसूली तथा मण्डी समितियों को जुर्माने का भुगतान
५० अपराधों का संज्ञान
५१ अपराधों का शमन

दसवां अध्याय—नियंत्रण

५२ मण्डियों का निरीक्षण तथा मण्डी समिति के कार्यकलापों के संबंध में जांच
५३ मण्डी समिति के सदस्य, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का हटाया जाना
५४ मण्डी समिति का अतिष्ठान
५४-क धारा ११ के अधीन विघटन का परिणाम
५५ हानि, दुर्व्यय या दुरुपयोजन आदि के लिये अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्यों तथा कर्मचारियों का दायित्व
५६ मण्डी समितियों की कार्यवाहियों को मंगाने की राज्य सरकार की शक्ति

ग्यारहवां अध्याय—प्रकीर्ण

५७ अनुसूची को संशोधित करने की राज्य सरकार की शक्ति
५८ मण्डी समिति या बोर्ड को शोध्य राशियों की वसूली
५९ पुलिस अधिकारी के कर्त्तव्य
६० हानि, कमी तथा वसूल न होने योग्य फीसों को बट्टे खाते डालने की शक्ति
६१ मण्डी समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य, अधिकारी तथा सेवक या बोर्ड के उपाध्यक्ष आदि लोक सेवक होंगे
६२ शक्तियों का प्रत्यायोजन
६३ सिविल वाद का वर्जन
६४ सूचना न दिये जाने की दशा में वाद का वर्जन
६५ कार्यवाहियां रिक्ति के कारण अविधिमान्य नहीं होंगी

बारहवां अध्याय—मण्डी की सीमाओं में परिवर्तन

६६ कृषि-उपज को धारा ४ के अधीन अधिसूचना में सम्मिलित करने या उसमें से उसे अपवर्जित करने के लिये अधिसूचना
६७ मण्डी-क्षेत्रों की सीमाओं में परिवर्तन करने या उन्हें सम्मेलित करने या उनको विपाटित करने के आशय की अधिसूचना.
६८ धारा ६७ के अधीन अधिसूचना के पश्चात् की प्रक्रिया

खण्ड

६९ सीमाओं का परिवर्तन, समामेलन या विपाटन होने पर मंडी समितियों के गठन आदि के संबंध में पारिमाणिक आदेश देने की राज्य सरकार की शक्ति.

७० सीमाओं के परिवर्तन का परिणाम. .. ..

७१ समामेलन का का परिणाम. .. ..

७२ विपाटन का परिणाम. .. ..

७३ विपाटित मंडी समिति की आस्तियों तथा दायित्वों का प्रभाजन. .. ..

७४ नवीन मंडी समिति द्वारा या उसके विरुद्ध वाद. .. ..

७५ समामेलित या विपाटित मंडी समिति या समितियों के विद्यमान कर्मचारियों के संबंध में व्यावृत्ति.

तेरहवां अध्याय--नियम तथा उपविधियां

७६ नियम बनाने की शक्ति. .. ..

७७ उपविधियां बनाने की शक्ति. .. ..

७८ उपविधियां बनाने या उनमें संशोधन करने के लिये निर्देश देने की संचालक की शक्ति.

७९ निरसन तथा व्यावृत्तियां. .. ..
अनुसूची.

(प्रवर समिति द्वारा यथा संशोधित)

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक १८ सन् १९७०

[प्रवर समिति द्वारा विलोपित किये गये अंशों को वर्ग कोष्ठकों में बन्द कर दिया गया है और उसके द्वारा जोड़े गए और बदले गए अंशों को रेखांकित कर दिया गया है.]

मध्यप्रदेश कृषि-उपज मण्डी विधेयक, १९७०

मध्यप्रदेश राज्य में कृषि-उपज के क्रय-विक्रय का अधिक अच्छा विनियमन करने के लिए तथा कृषि-उपज सम्बन्धी मंडियों की स्थापना एवं उनके उचित प्रशासन के लिये उपबन्ध करने के हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के बाईसवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान मंडल द्वारा इसे निम्नलिखित रूप में अधिनियमित किया जाय.

पहला अध्याय—प्रारम्भिक

१. (१) यह अधिनियम मध्यप्रदेश कृषि-उपज मण्डी अधिनियम, [१९७०] १९७१ कहा जा सकेगा. संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारम्भ.

(२) इसका विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश पर है.

(३) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, नियत करे.

२. (१) इस अधिनियम में, जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो— परिभाषाएं.

(क) "कृषि-उपज" से अभिप्रेत है कृषि, उद्यान-कृषि, पशु-पालन, मधुमक्खी पालन, मत्स्य पालन या वन सम्बन्धी समस्त उत्पादन चाहे वह प्रसंस्कृत (प्रोसेस्ड) हो या न हो, जो कि अनुसूची में विनिर्दिष्ट है और उसके अन्तर्गत ऐसा अन्य उत्पादन आता है जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये कृषि-उपज घोषित करे;

(ख) "कृषक" से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति जिसकी जीविका का मुख्य साधन कृषि-उपज के उत्पादन या वृद्धि पर अवलंबित हो और जो अपने स्वयं के लिये—

(एक) अपने स्वयं के श्रम द्वारा,

(दो) अपने कुटुम्ब के किसी सदस्य के श्रम द्वारा, या

(तीन) अपने व्यक्तिगत पर्यवेक्षण या अपने कुटुम्ब के किसी सदस्य के व्यक्तिगत पर्यवेक्षण के अधीन भाड़े के श्रमिकों द्वारा या ऐसी मजदूरी पर, जो कि नगदी या वस्तु के रूप में देय हो किन्तु फसल के अंश के रूप में देय न हो, रखे गये नौकरों के द्वारा

खेती करता हो,

किन्तु उसके अन्तर्गत कृषि-उपज का व्यापारी, आढ़तिया, प्रसंस्करणकर्ता (प्रोसेसर) या दलाल नहीं आता यद्यपि ऐसा व्यापारी, आढ़तिया, प्रसंस्करणकर्ता या दलाल भी कृषि-उपज की पैदावार करने या वृद्धि करने में लगा हो;

(ग) "बोर्ड" से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीनस्थापित किया गया मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड;

(घ) "उपविधियों" से अभिप्रेत धारा ७७ के अधीन बनाई गई उपविधियां;

(ङ) "आढ़तिया" से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति जो अपने नियोक्ता की ओर से तथा प्रत्येक संव्यवहार में अन्तर्वलित रकम पर कमीशन या प्रतिशतता के प्रति-फलस्वरूप कृषि-उपज का क्रय करता है तथा नगद भुगतान करता है, उसे अपनी अभिरक्षा में रखता है और सम्यक् अनुक्रम में उसे नियोक्ता को परिदत्त करता है या जो मण्डी क्षेत्र के बाहर से, विक्रय के लिये भेजी गई कृषि-उपज को प्राप्त करता है तथा अपनी अभिरक्षा में लेता है, मण्डी-प्रांगण में उसे बेचता है तथा क्रेता से उसके लिये भुगतानों का संग्रहण करता है और अपने नियोक्ता को विक्रय-आगम भेजता है;

(च) "संचालक" से अभिप्रेत है वह व्यक्ति जो राज्य सरकार द्वारा, अधिसूचना द्वारा, विपणन-संचालक के रूप में नियुक्त किया गया हो, और उसके अन्तर्गत कोई ऐसा अधिकारी या ऐसे अधिकारीगण आते हैं जो राज्य सरकार द्वारा, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के या उसके अधीन बनाये गये नियमों या उपविधियों के उपबन्धों के अधीन संचालक की किन्हीं भी ऐसी शक्तियों या कृत्यों का, जो कि ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किये जायं, प्रयोग करने या पालन करने के लिये सशक्त किये गये हों;

(छ) "मण्डी" से अभिप्रेत है धारा ४ के अधीन स्थापित की गई मण्डी;

(ज) "मण्डी-क्षेत्र" से अभिप्रेत है वह क्षेत्र जिसके लिये धारा ४ के अधीन मण्डी स्थापित की गई हो;

(झ) "मण्डी समिति" से अभिप्रेत है धारा ११ के अधीन गठित की गई समिति;

(ञ) "मण्डी कृत्यकारी" या "कृत्यकारी" के अन्तर्गत आता है दलाल, आढ़तिया, निर्यातक, ओटने वाला, आयातक, दबाने वाला (प्रेसर), प्रसंस्करणकर्त्ता, स्टॉकिस्ट, व्यापारी तथा ऐसा अन्य व्यक्ति जिसे नियमों या उपविधियों के अधीन मण्डी कृत्यकारी के रूप में घोषित किया जाय;

(ट) "मूल मण्डी" से, किसी मण्डी-प्रांगण के सम्बन्ध में, अभिप्रेत है कोई ऐसा क्षेत्र जो धारा ५ की उपधारा (२) के खण्ड (ख) के अधीन मूल मण्डी (मार्केट प्रापर) घोषित किया गया हो;

(ठ) "मण्डी प्रांगण" से, किसी मण्डी-क्षेत्र के सम्बन्ध में, अभिप्रेत है कोई ऐसा विनिर्दिष्ट स्थान जो धारा ५ की उपधारा (२) के खण्ड (क) के अधीन मण्डी-प्रांगण घोषित किया गया हो;

(ड) "अधिसूचित कृषि-उपज" से, किसी मण्डी के सम्बन्ध में, अभिप्रेत है कोई ऐसी उपज जो धारा ४ के अधीन जारी की गई अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की गई हो;

(ढ़) "फुटकर विक्रय" से, किसी अधिसूचित कृषि-उपज के सम्बन्ध में, अभिप्रेत है ऐसे परिमाण से अनधिक परिमाण में किया जाने वाला विक्रय जिसे कि कोई मण्डी-समिति उपविधियों द्वारा उसके सम्बन्ध में फुटकर विक्रय होना अवधारित करे;

(ण) "सचिव" से, अभिप्रेत है किसी मण्डी समिति का सचिव;

(त) "व्यापारी" से, अभिप्रेत है कोई ऐसा व्यक्ति जो अपने कारबार के प्रसामान्य अनुक्रम में किसी अधिसूचित कृषि-उपज का क्रय या विक्रय करता है और उसके अन्तर्गत ऐसा व्यक्ति आता है जो कृषि-उपज के प्रसंस्करण में लगा हो किन्तु उसके अन्तर्गत कोई आढ़तिया नहीं आता.

(२) यदि यह प्रश्न उद्भूत हो कि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये कृषक है या नहीं, तो उस जिले के कलेक्टर का विनिश्चय अन्तिम होगा जिसमें कि ऐसा व्यक्ति कृषि-उपज की पैदावार या वृद्धि में लगा हो.

दूसरा अध्याय—मण्डियों की स्थापना

विनिर्दिष्ट क्षेत्र में अधिसूचित कृषि-उपज के विपणन का विनियमन करने के आशय की अधिसूचना.

३. (१) किसी ऐसे क्षेत्र में के, जिसके कि लिये मण्डी स्थापित किया जाना प्रस्थापित हो, स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या किसी कृषि-उपज की पैदावार करने वालों द्वारा किये गये अभ्यावेदन पर या अन्यथा, राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा तथा ऐसी अन्य रीति में, जो कि विहित की जाय, ऐसी कृषि-उपज के क्रय-विक्रय का विनियमन करने के लिये तथा ऐसे क्षेत्र में, जो कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाय, मण्डी स्थापित करने के अपने आशय की घोषणा कर सकेगी.

(२) उपधारा (१) के अधीन अधिसूचना में यह कथित होगा कि किसी भी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर राज्य सरकार द्वारा विचार किया जायगा जो कि राज्य सरकार को, अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाने वाली ऐसी कालावधि के, जो एक मास से कम न हो, भीतर प्राप्त हो.

मंडी की स्थापना तथा उसमें अधिसूचित कृषि-उपज के विपणन का विनियमन.

४. धारा ३ के अधीन जारी की गई अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की गई कालावधि का अवसान होने के पश्चात् और ऐसी आपत्तियों तथा सुझावों पर, जो ऐसे अवसान के पूर्व प्राप्त हुए हों, विचार करने के पश्चात् तथा ऐसी जांच, यदि कोई हो, जो आवश्यक हो, करने के पश्चात् राज्य सरकार, अन्य अधिसूचना द्वारा, धारा ३ के अधीन अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किये गये क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिये, इस अधिनियम के प्रयोजन के लिये, उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की गई समस्त या किसी भी प्रकार की कृषि-उपज के सम्बन्ध में मन्डी स्थापित कर सकेगी.

मंडी प्राँगण तथा मूल मंडी.

५. (१) (क) प्रत्येक मन्डी क्षेत्र में,—

(एक) एक मन्डी-प्रांगण होगा; और

(दो) एक या अधिक मन्डी प्राँगण हो सकेंगे.

(ख) प्रत्येक मन्डी-प्राँगण के लिये एक मूल मन्डी होगी.

(२) राज्य सरकार, धारा ४ के अधीन अधिसूचना जारी होने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, अधिसूचना द्वारा,—

(क) किसी विनिर्दिष्ट स्थान को, जिसके अन्तर्गत किसी मन्डी-क्षेत्र में की कोई संरचना, अहाता, खुला स्थान या परिक्षेत्र आता है, ऐसी अधिसूचित कृषि-उपज के लिये जो कि ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट हो, मन्डी-प्राँगण घोषित करेगी; और

(ख) ऐसे मन्डी-प्राँगण के सम्बन्ध में, मन्डी-क्षेत्र में के किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र को मूल मन्डी घोषित करेगी.

अधिसूचित कृषि-उपज के विपणन का नियंत्रण

६. धारा 4 के अधीन किसी मन्डी की स्थापना होने पर,—

(क) कोई भी स्थानीय प्राधिकारी, तत्समय प्रवृत्त किसी अधिनियमिति में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, मन्डी-क्षेत्र में के किसी स्थान का किसी अधिसूचित कृषि-उपज के विपणन के लिये न तो निर्माण करेगा, न उसकी स्थापना करेगा, न उसको चालू रखेगा और न उसको उपयोग में लायेगा या न उसका निर्माण किये जाने, न उसकी स्थापना की जाने, न उसको चालू रखे जाने और न उसको उपयोग में लाये जाने की अनुज्ञा ही देगा;

(ख) कोई भी व्यक्ति विहित प्राधिकारी द्वारा, ऐसी रीति में तथा ऐसी फीस का जो कि विहित की जाय, भुगतान हो जाने पर मंजूर की गई अनुज्ञप्ति के बिना या अनुज्ञप्ति के निबन्धनों तथा शर्तों के अनुसार न होकर अन्य प्रकार से,—

(एक) मन्डी-क्षेत्र में के किसी स्थान को अधिसूचित कृषि-उपज के विपणन के लिये उपयोग में नहीं लायेगा; या

(दो) मन्डी-क्षेत्र में, अधिसूचित कृषि-उपज के विपणन के सम्बन्ध में व्यापारी, आड़तिया, दलाल, प्रसंस्करणकर्त्ता, तुलैया, भाँडागारिक या अन्य मन्डी-कृत्यकारी के रूप में या किसी अन्य हैसियत में कार्य नहीं करेगा :

परन्तु इसमें की कोई भी बात—

(क) ऐसी कृषि-उपज के विक्रय या क्रय को—

(एक) जिसका कि उत्पादक स्वयं उसका विक्रेता हो और ऐसा विक्रय किसी ऐसे व्यक्ति को किया जाता हो जो कि उसे अपने स्वयं के प्राइवेट उपभोग के लिये खरीदता हो;

(दो) जिसका कि विक्रय या क्रय इतनी मात्रा में किया जाता हो जितनी कि सिर पर रखकर लाई जा सकती हो;

(तीन) जिसका कि विक्रय या क्रय फुटकर विक्रय द्वारा किया जाता हो,

लागू नहीं होगी,

(ख) किसी सहकारी सोसायटी से कोई अग्रिम प्राप्त करने के प्रयोजन के लिये ऐसी कृषि-उपज के उसे किये गये अन्तरण को लागू नहीं होगी.

तीसरा अध्याय—मंडी समितियों का गठन

मंडी समिति की स्थापना तथा उसका निगमन.

७. (१) प्रत्येक मन्डी-क्षेत्र के लिये एक मन्डी समिति होगी जिसकी अधिकारिता संपूर्ण मन्डी-क्षेत्र पर होगी.

(२) प्रत्येक मन्डी समिति ऐसे नाम से, जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करे, एक निगमित निकाय होगी. उसका शाश्वत उत्तराधिकार होगा तथा उसकी एक सामान्य मुद्रा होगी और वह अपने निगमित नाम से वाद चला सकेगी तथा उक्त नाम से उसके विरुद्ध वाद चलाया जा सकेगा और ऐसे निर्बन्धनों के, जो कि इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन अधिरोपित किये जायं, अध्यधीन रहते हुए, वह संविदा करने के लिये तथा किसी भी संपत्ति को अर्जित करने, धारण करने, पट्टे पर देने, बेचने या अन्यथा अन्तरित करने के लिये और इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये आवश्यक समस्त अन्य बातें करने के लिये सक्षम होगी :

परन्तु कोई भी स्थावर संपत्ति संचालक की लिखित पूर्व अनुज्ञा के बिना अर्जित या अन्तरित नहीं की जायगी.

(३) तत्समय प्रवृत्त किसी भी अधिनियमिति में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, प्रत्येक मन्डी समिति समस्त प्रयोजनों के लिये स्थानीय प्राधिकारी समझी जायगी.

स्थानीय प्राधिकारी की संपत्ति का मंडी समिति में निहित होना.

८. (१) मन्डी समिति किसी स्थानीय प्राधिकारी से यह अपेक्षा कर सकेगी कि वह उसे अपनी कोई ऐसी भूमि या भवन, जो मन्डी-प्रांगण के भीतर स्थित हो और जो मन्डी की स्थापना के अव्यवहित पूर्व स्थानीय प्राधिकारी द्वारा मन्डी के प्रयोजनों के लिये उपयोग में लाया जाता था, अन्तरित कर दे और स्थानीय प्राधिकारी, अध्यपेक्षा प्राप्त होने के एक मास के भीतर यथास्थिति भूमि या भवन को, ऐसे निबंधनों पर, जिनका कि उनके बीच करार हो जाय, मन्डी समिति को अन्तरित कर देगा.

(२) जहां स्थानीय प्राधिकारी को उपधारा (१) के अधीन अध्यपेक्षा प्राप्त होने की तारीख से तीस दिन की कालावधि के भीतर स्थानीय प्राधिकारी तथा मन्डी समिति के बीच उक्त उपधारा के अधीन कोई करार न हो पाये, वहां मन्डी समिति द्वारा अपेक्षित भूमि या भवन इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये समिति में निहित हो जायगा और स्थानीय प्राधिकारी को ऐसे प्रतिकर का संदाय कर दिया जायगा जैसा कि कलेक्टर द्वारा उपधारा (५) के अधीन अवधारित किया जाय :

परन्तु किसी स्थानीय प्राधिकारी को कोई प्रतिकर किसी ऐसी भूमि या भवन के सम्बन्ध में देय नहीं होगा जो ऐसे स्थानीय प्राधिकारी के गठन से संबंधित अधिनियमिति में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के आधार पर इसमें निहित हुआ था किन्तु ऐसे निहित होने के लिये किसी भी रकम का संदाय नहीं किया गया था :

परन्तु यह और भी कि कलेक्टर के आदेश से व्यथित कोई भी पक्षकार, ऐसे आदेश की तारीख से तीस दिन के भीतर, राज्य सरकार को अपील कर सकेगा.

(३) स्थानीय प्राधिकारी उपधारा (२) के अधीन मन्डी समिति में निहित होने वाली भूमि या भवन का कब्जा ऐसे निहित होने से सात दिन की कालावधि के भीतर परिदत्त कर देगा और पूर्वोक्त कालावधि के भीतर स्थानीय प्राधिकारी के ऐसा करने में चूक होने पर, कलेक्टर उस भूमि या उस भवन का कब्जा ले लेगा और उसे मन्डी समिति को परिदत्त करावेगा.

(४) राज्य सरकार का आदेश तथा उस आदेश के अध्यधीन रहते हुए उपधारा (२) के अधीन कलेक्टर का आदेश अन्तिम होगा और दोनों पक्षकारों पर आबद्धकर होगा.

(५) कलेक्टर भूमि या भवन के लिये प्रतिकर की रकम निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखते हुए नियत करेगा:--

(एक) वार्षिक भाटक जिस पर उस भवन को वर्ष प्रति वर्ष भाड़े पर दिये जाने की युक्तियुक्त रूप से प्रत्याशा की जा सकती हो;

(दो) भवन की दशा;

(तीन) ऐसी भूमि के अर्जन के लिये स्थानीय प्राधिकारी द्वारा दी गई प्रतिकर की रकम; और

(चार) स्थानीय प्राधिकारी द्वारा भूमि पर परिनिर्मित किये गये किसी भवन या भूमि पर निष्पादित किये गये किसी अन्य कार्य की लागत या उसका वर्तमान मूल्य.

(६) उपधारा (५) के अधीन नियत किये गये प्रतिकर का, मन्डी समिति के विकल्प पर, एक मुश्त राशि में या दस से अनधिक इतनी समान वार्षिक किस्तों में, जितनी कि कलेक्टर नियत करे, संदाय किया जा सकेगा. जहां प्रतिकर का संदाय किस्तों में किया जाय, वहां उस पर ६ प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज लगेगा जो किस्त के साथ देय होगा.

बोर्ड या मन्डी समिति के लिये भूमि का अर्जन.

९. (१) जब मन्डी क्षेत्र के भीतर की कोई भूमि इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये अपेक्षित हो और बोर्ड या मन्डी समिति उसे करार द्वारा अर्जित करने में असमर्थ हो, तब राज्य सरकार, यथास्थिति बोर्ड या मन्डी समिति के निवेदन पर, ऐसी भूमि को लेन्ड एक्वीजीशन एक्ट, १८९४ (क्रमांक १ सन् १८९४) के उपबन्धों के अधीन अर्जित करने की कार्यवाही कर सकेगी और उस अधिनियम के अधीन अधिनिर्णीत किये गये प्रतिकर का तथा किन्हीं अन्य प्रभारों का, जो कि उस अर्जन के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा उपगत किये गये हों, यथास्थिति बोर्ड या मन्डी समिति द्वारा संदाय किया जाने पर, वह भूमि यथास्थिति बोर्ड या मन्डी समिति में निहित हो जायगी.

(२) बोर्ड या मन्डी समिति, राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना, किसी भी ऐसी भूमि को अन्तरित नहीं करेगी जो उपधारा (१) के अधीन यथास्थिति बोर्ड या मन्डी समिति के लिये अर्जित की जा चुकी हो और उसमें निहित हो या ऐसी भूमि को उस प्रयोजन से, जिसके कि लिये वह अर्जित की गई हो, भिन्न किसी प्रयोजन के लिये व्यपवर्तित नहीं करेगी.

(३) मध्यप्रदेश लेन्ड रेवेन्यू कोड, १६५६ (क्रमांक २० सन् १६५६) की धारा ५६ तथा १७२ के उपबन्ध उस भूमि को लागू नहीं होंगे जो उपधारा (१) के अधीन बोर्ड या मन्डी समिति के लिये अर्जित की गई हो और मन्डी प्रांगण की स्थापना के प्रयोजन के लिये उपयोग में लाई गई हो.

प्रथम मन्डी समिति का गठन होने तक के लिये भारसाधक अधिकारी या भारसाधक समिति की नियुक्ति.

१०. (१) जब इस अधिनियम के अधीन कोई मन्डी प्रथम बार स्थापित की जाय, तो राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, एक वर्ष से अनधिक कालावधि के लिये,—

(क) किसी व्यक्ति को भारसाधक अधिकारी के रूप में नियुक्त करेगी; या

(ख) सात से अनधिक व्यक्तियों से मिलकर बनने वाली समिति को, जो कि विहित की गई रीति में गठित की जायगी, भारसाधक समिति के रूप में नियुक्त करेगी;

भारसाधक अधिकारी या भारसाधक समिति, राज्य सरकार के नियंत्रण के अध्यधीन रहते हुए, उस अधिनियम के अधीन मन्डी समिति की समस्त शक्तियों का प्रयोग करेगी/करेगा तथा उसके (मन्डी समिति के) समस्त कर्तव्यों का पालन करेगी/करेगा :

परन्तु राज्य सरकार, समय-समय पर भारसाधक अधिकारी या भारसाधक समिति की नियुक्ति की कालावधि में ऐसी और वृद्धि, जैसी कि वह उचित समझे, इस प्रकार कर सकेगी कि जिससे कुल कालावधि तीन वर्ष से अधिक न हो जाय :

परन्तु यह और भी कि राज्य सरकार पूर्वोक्त कालावधि के दौरान किसी भी समय भारसाधक अधिकारी के स्थान पर भारसाधक समिति तथा भारसाधक समिति के स्थान पर भारसाधक अधिकारी नियुक्त कर सकेगी और इस प्रकार नियुक्त भारसाधक अधिकारी या भारसाधक समिति, जैसी भी कि दशा हो, अपने पूर्वाधिकारी को उपलभ्य शेष कालावधि तक पद धारण करेगा या कृत्य करेगी :

परन्तु यह भी कि यदि मन्डी समिति पूर्वोक्त कालावधि का अवसान होने के पूर्व गठित की जाय, तो नवीन रूप से गठित मन्डी समिति के प्रथम साधारण सम्मिलन के लिये नियत की गई तारीख से भारसाधक अधिकारी अपने पद पर नहीं रहेगा या भारसाधक समिति अपने कृत्य करना बन्द कर देगी.

(२) कोई भी व्यक्ति, जो उपधारा (१) के अधीन भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया हो, अपनी सेवाओं के लिये ऐसा वेतन तथा भत्ते, जो कि राज्य सरकार द्वारा नियत किये जायं, मन्डी समिति निधि से प्राप्त करेगा तथा भारसाधक समिति का प्रत्येक सदस्य ऐसी दर से भत्ते प्राप्त करेगा जिस दर से कि भत्ते मन्डी समिति के सदस्यों को देय हों.

मन्डी समितियों का गठन.

११. (१) धारा १० के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए मण्डी समिति में कम से कम आठ तथा अधिक से अधिक बीस सदस्य होंगे, जैसा कि राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करे, जिनमें से—

(क) निर्वाचित सदस्यों में से कम से कम दो-तिहाई सदस्य कृषकों के प्रतिनिधि होंगे जिनमें ऐसी अर्हतायें हों, जैसी कि विहित की जायं, [और जो उन क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों से, जिनमें कि मन्डी-क्षेत्र विभाजित किया जाय, विहित रीति में निर्वाचित होंगे;] और जो मण्डी-क्षेत्र में की ग्राम पंचायतों के पंचों तथा मण्डी क्षेत्र में की कृषि सेवा सहकारी सोसाइटियों या कृषि से संबंधित अन्य सहकारी सोसाइटियों के अध्यक्षों तथा उपाध्यक्षों द्वारा विहित रीति में निर्वाचित होंगे.

(ख) निर्वाचित सदस्यों में से अधिक से अधिक एक-तिहाई सदस्य व्यापारियों के प्रतिनिधि होंगे जिनमें ऐसी अर्हतायें हों जैसी कि विहित

की जायं और, जो उन व्यक्तियों में से, जो कि इस अधिनियम के अधीन व्यापारियों या प्रसंस्करण-कारखानों के स्वामियों या अधिभोगियों के रूप में मन्डी-समिति से दो आनुक्रमिक वर्षों की कालावधि के लिये अनुज्ञप्ति लगातार धारण किये हुए हों, विहित रीति में निर्वाचित होंगे;

(ग) एक सदस्य उस मन्डी-क्षेत्र में कृत्य कर रही सहकारी विपणन सोसायटी का प्रतिनिधि होगा जो उस सोसायटी की प्रबंधकारिणी समिति द्वारा निर्वाचित होगा :

परन्तु यदि मन्डी-क्षेत्र में ऐसी एक से अधिक सोसायटियां कृत्य करें, तो ऐसा सदस्य ऐसी सोसायटियों की प्रबंधकारिणी समितियों के समस्त सदस्यों द्वारा निर्वाचित होगा;

(घ) अधिक से अधिक तीन सदस्य, जो सरकारी अधिकारी होंगे, संचालक द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जायेंगे.

(२) मन्डी-क्षेत्र के भीतर निवास करने वाला कोई भी ऐसा व्यक्ति जो राज्य सरकार द्वारा आयोजित किसी भी फसल-प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करे, उस तारीख से, जिसको कि वह ऐसी फसल प्रतियोगिता में प्रथम घोषित किया जाय, एक वर्ष की कालावधि के लिये, उन सदस्यों के अतिरिक्त, जो कि उपधारा (१) में विनिर्दिष्ट किये गये हैं, मन्डी समिति का सदस्य हो जायगा और ऐसी दशा में, मन्डी-समिति की उस पद-संख्या में, जो कि उक्त उपधारा के अधीन नियत की गई हो, उस कालावधि के दौरान, जिसमें कि वह सदस्य रहे, तदनुसार वृद्धि हो जायगी.

(३) राज्य सरकार, ऐसे प्राधिकारी के लिये जो निर्वाचन का संचालन करेगा, निर्वाचन क्षत्रों का अवधारण करने के लिये, मतदाताओं की सूची तैयार करने तथा उन्हें बनाय रखने क लिये, निर्वाचित होने के लिये अर्हित व्यक्तियों के लिये, सदस्य के रूप में चुने जाने तथा सदस्य होने सम्बन्धी निरर्हताओं के लिये, मत देने के अधिकार के लिये, निक्षेप के भुगतान तथा उसक समपहरण के लिये, निर्वाचन-अपराधों के लिये, निर्वाचन सम्बन्धी विवादों के अवधारण तथा उससे आनुषंगिक समस्त विषयों के लिये उपबन्ध करने हेतु नियम बना सकेगी.

(४) उपधारा (१) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अनुसार निर्वाचन कार्यवाहियों के प्रारंभ हो जान के पश्चात् उपधारा (१) के खण्ड (क) तथा (ख) में वर्णित निर्वाचक-वर्ग (इलेक्टोरेट) उस सदस्य या उन सदस्यों को जिनके कि प्रति उक्त खंडों में निर्देश किया गया है, निर्वाचित करने में असफल रहे, तो राज्य सरकार, संबंधित निर्वाचक-वर्ग की ओर से ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को, जो सदस्य होने के लिये अर्हित हों/हो, मन्डी समिति के सदस्य या सदस्यों के रूप में नामनिर्दिष्ट करेगी.

(५) प्रत्येक मण्डी समिति के सदस्य मण्डी समिति के प्रथम साधारण सम्मिलन की तारीख से पांच वर्ष की कालावधि के लिये पद धारण करेंगे.

[(६) उपधारा (५) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी किसी मन्डी समिति के बहिर्गामी सदस्य अपन पदों पर तब तक बन रहेंगे जब तक कि उस मन्डी समिति के स्थान पर गठित की गई मन्डी समिति का प्रथम साधारण सम्मिलन प्रारंभ न हो जाय.]

(६) उपधारा (५) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी मन्डी समिति के वहिर्गामी सदस्य उस मण्डी समिति के स्थान पर गठित की गई मण्डी समिति का प्रथम साधारण सम्मिलन प्रारम्भ होने तक या उपधारा (५) के अधीन पदावधि का अवसान होने की तारीख से छ: मास का अवसान होने तक, दोनों में से जो भी पूर्वतर हो, अपने पदों पर बने रहेंगे;

(६)-(क) यदि उपधारा (६) में वर्णित की गई कालावधि के भीतर मण्डी समिति नवीन रूप से गठित न की जाय, तो मण्डी समिति ऐसी कालावधि का अवसान हो जाने पर विघटित हो जायगी.

(७) किसी सदस्य की पदावधि का अवसान होने के पूर्व उसकी मृत्यु हो जाने उसके पद त्याग कर देने या उसको हटा दिये जाने की दशा में यह समझा जायगा कि ऐसे पद की आकस्मिक रिक्ति हुई है और ऐसी रिक्ति, यथाशक्य शीघ्र, उस पद के लिये किसी व्यक्ति का सदस्य के रूप में यथास्थिति निर्वाचन या नामनिर्देशन करके भरी जायगी, जो अपना पद तत्काल ग्रहण करेगा तथा ऐसे पद को अपने पूर्वाधिकारी की अनवसित अवधि तक के लिये धारण करेगा :

परन्तु ऐसी कोई भी आकस्मिक रिक्ति नहीं भरी जायगी जो उस तारीख के, जिसको कि उसकी पदावधि का अवसान होता हो, पूर्ववर्ती चार मास की कालावधि क भीतर हुई हो.

१२. (१) प्रत्येक मण्डी समिति का एक अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष होगा. अध्यक्ष मण्डी समिति के निर्वाचित सदस्यों द्वारा उन सदस्यों में से निर्वाचित किया जायगा जो कृषकों के प्रतिनिधि हों. उपाध्यक्ष, मण्डी समिति के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने में से निर्वाचित किया जायगा; मण्डी समिति के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष

(२) (क) प्रत्येक साधारण निर्वाचन (जनरल इलेक्शन) के पश्चात्, मण्डी समिति अपने प्रथम साधारण सम्मिलन में, जो संचालक द्वारा, साधारण निर्वाचन से एक मास के भीतर बुलाया जायगा, अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को निर्वाचित करेगी और इस प्रकार निर्वाचित किये गये अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष उस तारीख से, जिसको कि वे अपने पद ग्रहण करें, दो वर्ष की कालावधि के लिये पद धारण करेंगे ;

(ख) मण्डी समिति, बहिर्गामी अध्यक्ष की पदावधि का अवसान होने से एक मास के भीतर संचालक द्वारा बुलाये गये सम्मिलन में, नये अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को निर्वाचित करेगी, जो उस तारीख से, जिसको कि वे अपने पद ग्रहण करें, दो वर्ष की कालावधि के लिये या मण्डी समिति की अनवसित अवधि के लिये, जैसी भी कि दशा हो, पद धारण करेंगे.

(३) अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, अपनी पदावधि का अवसान हो जाने पर भी, तब तक पद धारण किये रहेंगे जब तक कि उनके उत्तराधिकारी अपने पद ग्रहण न कर लें.

(४) अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के निर्वाचन के लिये बुलाये गये सम्मिलन की अध्यक्षता संचालक द्वारा या इस सम्बन्ध में उसके द्वारा प्राधिकृत किये गये किसी भी अधिकारी द्वारा की जायगी. संचालक या ऐसे अधिकारी को, जब कि वह सम्मिलन की अध्यक्षता कर रहा हो, वे ही शक्तियां प्राप्त होंगी जो कि अध्यक्ष को उस समय प्राप्त होती हैं जब कि वह मण्डी समिति के सम्मिलन की अध्यक्षता कर रहा होता है, किन्तु उसे मत देने का अधिकार नहीं होगा.

(५) यदि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के निर्वाचन में मत बराबर-बराबर हों तो निर्वाचन के परिणाम का विनिश्चय लॉट द्वारा किया जायगा जो कि पीठासीन अधिकारी की उपस्थिति में ऐसी रीति में डाला जायगा जैसी कि वह अवधारित करे.

(६) अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के निर्वाचन की विधिमान्यता के सम्बन्ध में विवाद उद्भूत होने की दशा में, संचालक, यदि वह पीठासीन अधिकारी हो, विवाद का विनिश्चय स्वयं करेगा और किसी भी अन्य मामले में, पीठासीन अधिकारी उस विवाद को, विनिश्चय के लिये, संचालक को निर्दिष्ट करेगा. संचालक का विनिश्चय, राज्य सरकार को की जाने वाली अपील के अध्यधीन रहते हुए, अन्तिम होगा और ऐसे

विनिश्चय के सम्बन्ध में कोई वाद या अन्य कार्यवाही किसी भी विधि न्यायालय में नहीं होगी.

अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के पद की रिक्ति.

१३. (१) अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में पद धारण करने वाला कोई भी सदस्य, किसी भी समय, संचालक को संबोधित किये गये स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा और वह पद, ऐसे त्यागपत्र की तारीख से पूरे पन्द्रह दिन का अवसान होने पर उस दशा में रिक्त हो जायगा जबकि वह उक्त पन्द्रह दिन की कालावधि के भीतर, स्वयं द्वारा संचालक को सम्बोधित किये गये स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा त्यागपत्र वापस न ले ले.

(२) प्रत्येक अध्यक्ष या उपाध्यक्ष पद रिक्त कर देगा यदि वह मंडी समिति का सदस्य न रहे.

(३) अध्यक्ष का पद रिक्त रहने के दौरान, उपाध्यक्ष, और यदि उपाध्यक्ष का पद भी रिक्त हो, तो इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, सरकार का ऐसा अधिकारी, जिसे कि संचालक नियुक्त करे, अध्यक्ष की शक्तियों का प्रयोग तथा उसके कृत्यों का निवर्हन अध्यक्ष के सम्यक् रूप से निर्वाचित न होने तक करेगा.

अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव.

१४. (१) मंडी समिति द्वारा ऐसे बहुमत से, जो कि उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई से कम न हो और ऐसा बहुमत, तत्समय मंडी समिति का गठन करने वाले सदस्यों की कुल संख्या के आधे से अधिक हो, पारित संकल्प द्वारा अविश्वास का प्रस्ताव पारित किया जाने पर अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, जिसके कि विरुद्ध ऐसा प्रस्ताव पारित किया गया हो, उस तारीख से, जो उस तारीख के, जिसको कि ऐसा प्रस्ताव पारित किया गया हो, ठीक पश्चात् की हो, अपने पद पर नहीं रहेगा.

(२) इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष उस सम्मिलन की अध्यक्षता नहीं करेगा जिसमें कि उसके विरुद्ध अविश्वास के प्रस्ताव पर चर्चा की जाय किन्तु ऐसे सम्मिलन की अध्यक्षता सरकार के ऐसे अधिकारी द्वारा की जायगी जिसे कि संचालक इस प्रयोजन के लिये नियुक्त करे. तथापि, यथास्थिति अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को उस सम्मिलन की कार्यवाही में बोलने तथा अन्यथा भाग लेने का अधिकार होगा.

[(३) इस धारा के प्रयोजन के लिये सम्मिलन विहित रीति में किया जायगा]

(३) इस धारा के प्रयोजन के लिये सम्मिलन, अविश्वास के प्रस्ताव की सूचना प्राप्त होने की तारीख से तीस दिन के भीतर, विहित रीति में किया जायगा.

चौथा अध्याय--मंडी समिति के काम-काज का संचालन और उसकी शक्तियां तथा कर्त्तव्य.

मंडी समिति के सम्मिलन आदि.

१५. मंडी समिति के सम्मिलन, गणपूर्ति तथा प्रक्रिया का विनियमन उस प्रयोजन के लिये बनाई गई उपविधियों के अनुसार किया जायगा.

अध्यक्ष मंडी समिति के सम्मिलनों की अध्यक्षता करेगा.

१६. अध्यक्ष, और यदि वह अनुपस्थित हो तो उपाध्यक्ष मंडी समिति के प्रत्येक सम्मिलन की अध्यक्षता करेगा और यदि किसी सम्मिलन में अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष दोनों ही अनुपस्थित हों, तो सम्मिलन में उपस्थित सदस्यों में से एक ऐसा सदस्य, जिस को सम्मिलन द्वारा चुना जाय, अध्यक्ष के रूप में कार्य कर सकेगा.

१७. (१) इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए मंडी समिति का यह कर्त्तव्य होगा कि वह— मण्डी समिति की शक्तियां तथा कर्त्तव्य.

(क) इस अधिनियम तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों एवं उप-विधियों के उपबंधों को मंडी क्षेत्र में कार्यान्वित करे;

(ख) अधिसूचित कृषि-उपज का उसमें (मंडी क्षेत्र में) विपणन करने के लिये ऐसी सुविधाओं का प्रबंध करना जैसा कि राज्य सरकार समय समय पर निदेश दे;

(ग) ऐसे अन्य कार्य करना, जो कि मंडी के अधीक्षण, संचालन तथा नियंत्रण के संबंध में या अधिसूचित कृषि-उपज का मंडी क्षेत्र में किसी स्थान पर विपणन करने का विनियमन करने के लिये तथा पूर्वोक्त विषयों से संबंधित प्रयोजनों के लिये आवश्यक हों और वह उस प्रयोजन के लिये ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कृत्यों का निर्वहन कर सकेगी जैसे कि इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उपबंधित किये जायं.

(२) पूर्वगामी उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना मंडी समिति:—

(एक) मंडी प्रांगणों का अनुरक्षण करेगी तथा उनका प्रबंध करेगी;

(दो) मंडी प्रांगण/प्रांगणों में कृषि-उपज के विपणन के लिये आवश्यक सुविधाओं का प्रबंध करेगी;

(तीन) मंडी कृत्यकारियों को अनुज्ञप्तियां मंजूर करेगी या मंजूर करने से इन्कार करेगी और ऐसे अनुज्ञप्तियों को नवीकृत, निलंबित या रद्द करेगी;

(चार) मंडी कृत्यकारियों के आचरण का पर्यवेक्षण करेगी;

(पांच) मंडी प्रांगणों में व्यापार आरम्भ करने, बंद करने तथा निलंबित करने का विनियमन करेगी;

(छः) अनुज्ञप्तियों की शर्तों को प्रवर्तित करेगी;

(सात) अधिसूचित कृषि-उपज के विपणन से संबंधित विक्रयों का करार करने, उसके कार्यान्वयन तथा प्रवर्तन या रद्द करण का, अधिसूचित कृषि-उपज के विपणन से संबंधित तौल, परिदान, भुगतान तथा समस्त अन्य विषयों का विनियमन करेगी;

(आठ) ऐसे समस्त विवादों को, जो कि अधिसूचित कृषि-उपज के विपणन से संबंधित किसी भी प्रकार के संव्यवहार से विक्रेता तथा क्रेता के बीच उद्भूत हुए हों, तय करने के लिये तथा उससे अनुषक्त समस्त मामलों के लिये उपबंध करेगी;

(नौ) अधिसूचित कृषि-उपज के उत्पादन, विक्रय, भंडारकरण, प्रसंस्करण, कीमतों तथा संचलन के संबंध में जानकारी संग्रहीत करेगी तथा उसे बनाये रखेगी और ऐसी जानकारी को बोर्ड या संचालक द्वारा निदेशित किये गये अनुसार प्रसारित करेगी;

(दस) माल में अपमिश्रण को रोकने के लिये तथा अधिसूचित कृषि-उपज के श्रेणीकरण तथा मानकीकरण के संप्रवर्तन के लिये समस्त संभव कार्यवाही करेगी;

(ग्यारह) मंडी में स्थिरता बनाये रखने की दृष्टि से, (क) यह सुनिश्चित करने के लिये यथोचित उपाय करेगी कि व्यापारी अपनी सामर्थ्य के परे, कृषि उपज का क्रय न करें तथा उपज का व्ययन करने में विक्रेताओं को होने वाली जोखिम न रहे; और (ख) क्रेताओं की हैसियत के अनुसार [नगद या बैंक गारन्टी के रूप में आवश्यक प्रतिभूति अभिप्राप्त करने के पश्चात्] ही अनुज्ञप्तियां मंजूर करेगी;

(बारह) फीस तथा अन्य शोध्य प्रभारों से संबंधित समस्त धन, जिसे प्राप्त करने के लिये मंडी समिति प्राधिकृत है, उद्ग्रहीत करेगी तथा वसूल करेगी;

(तेरह) (क) यह सुनिश्चित करेगी कि मंडी प्रांगण में या मूल मंडी में हुए संव्यवहारों के संबंध में भुगतान विक्रेता को [उसी दिन किया जाय,] यथा समय उसी दिन किया जाय तथा किसी भी दशा में चौबीस घन्टे के पश्चात् नहीं और इसमें व्यतिक्रम होने पर प्रश्नगत कृषि-उपज को तथा संबंधित व्यक्ति की अन्य संपत्ति को अभिग्रहीत करेगी तथा उसके पुनः विक्रय के लिये व्यवस्था करेगी और हानि होने की दशा में, उस हानि को तथा हानि, यदि कोई हो, की मूल क्रेता से वसूली करने संबंधी प्रभारों को मूल क्रेता से वसूल करेगी और कृषि-उपज की कीमत का भुगतान विक्रेता को करायेगी; (ख) तुलाई तथा हम्माली से संबंधित प्रभारों को वसूल करेगी और उन्हें तुलैयों तथा हम्मालों में वितरित करेगी;

(चौदह) इस अधिनियम के तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों एवं उपविधियों के उपबंधों के दक्षतापूर्ण कार्यान्वयन के लिये आवश्यक संख्या में अधिकारियों तथा सेवकों को नियोजित करेगी;

(पन्द्रह) मंडी प्रांगण में व्यक्तियों के प्रवेश तथा गाड़ियों के यातायात का विनियमन करेगी;

(सोलह) इस अधिनियम के तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों एवं उपविधियों के उपबंधों का अतिक्रमण करने के लिये व्यक्तियों को अभियोजित करेगी और यदि आवश्यक हो, तो ऐसे अपराधों का शमन करेगी;

(सत्रह) अपने कर्त्तव्यों का दक्षतापूर्ण पालन करने के प्रयोजन से किसी भी जंगम या स्थावर संपत्ति को अर्जित करेगी, धारण करेगी तथा उसका व्ययन करेगी;

(अठारह) कोई वाद, कार्य, कार्यवाही, आवेदन-पत्र या माध्यस्थम् संस्थित करेगी या उसमें प्रतिरक्षा करेगी और ऐसे वाद, कार्य, कार्यवाही, आवेदन-पत्र या माध्यस्थम में समझौता करेगी ;

(उन्नीस) मंडी प्रांगण में किये गये संव्यवहारों के संबंध में माल के तौलने तथा उसके परिवहन के लिये तुलैयों तथा हम्मालों का बारी-बारी से नियोजन करने की व्यवस्था करेगी.

(३) राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी से, मंडी समिति, अपने विवेकानुसार, निम्नलिखित कर्त्तव्यों का भार अपने ऊपर ले सकेगी,—

(एक) विक्रय के लिये कृषि-उपज लाने में मंडी क्षेत्र में के कृषकों को सुविधा हो, इस हेतु से मंडी क्षेत्र में सड़कों के सन्निर्माण के लिये अनुदान देना;

(दो) उर्वरक, विनाशीकीटमार औषधियां (पेस्टीसाइड्स), कीटनाशी औषधियां (इन्सक्टी साइड्स), उन्नत बीज तथा पंपों का स्टाक रखना और भुगतान लेकर उन्हें कृषकों को वितरित करना या कृषि-उत्पादन में वृद्धि करने के हेतु कृषकों की सहायता करने की दृष्टि से उनको ट्रेक्टर भाटक पर देना;

(तीन) कृषकों को, कृषि उपज का स्टाक रखने के लिये भंडारकरण-पात्र (स्टोरेज बिन्स) भाटक पर देने की व्यवस्था करना.

(४) पूर्व में वर्णित कर्त्तव्यों के अतिरिक्त मंडी समिति निम्नलिखित के लिये भी उत्तरदायी रहेगी:—

(एक) अपने अधिकारियों द्वारा प्राप्त हुई प्राप्तियों तथा किये गये भुगतानों पर उचित अंकुश बनाये रखना;

(दो) मंडी समिति की निधि पर भारित किये जा सकने वाले समस्त कार्यों का समुचित निष्पादन;

(तीन) इस अधिनियम तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों तथा जारी की गई अधिसूचनाओं की और अपनी उपविधियों की एक-एक प्रति निःशुल्क निरीक्षण के लिये अपने कार्यालय में रखना; और

(चार) सांसर्गिक पशु रोग फैलने की रोकथाम के लिये निवारक उपायों की व्यवस्था करना.

(५) मंडी समिति किसी ऐसे भी निदेश को कार्यान्वित करेगी जिसे कि राज्य सरकार मंडी प्रांगण में युक्तियुक्त सुविधाओं का प्रबंध करने के लिये समय-समय पर जारी करे.

(६) यदि मंडी समिति, उपधारा (५) के अधीन जारी किये गये किसी निदेश का युक्तियुक्त समय के भीतर अनुपालन करने में चूक करे, तो राज्य सरकार को, मंडी समिति के खर्चे पर ऐसे निदेश को प्रवर्तन करने के लिये आवश्यक समस्त शक्तियां प्राप्त होंगी.

(७) यदि कोई मंडी समिति, किसी भी ऐसी राशि का, जिसकी कि रकम उपधारा (५) के अधीन जारी किये गये किन्हीं निदेशों के आधार पर नियत की गई हो या देय हो गई हो, भुगतान करने में व्यतिक्रम करे, तो राज्य सरकार, ऐसे व्यक्ति को, जिसकी अभिरक्षा में मंडी समिति की निधि का अतिशेष हो, यह निदेश देते हुए एक आदेश दे सकेगी कि वह ऐसा भुगतान या तो पूर्ण रूप से या ऐसे भाग में, जो ऐसी निधि में से संभव हो, करे.

(८) मंडी समिति ऐसी समस्त जानकारी देगी जिसकी कि बोर्ड, कलेक्टर संचालक या इनमें से किसी के भी द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत अधिकारी को अपेक्षा हो.

उप-समितियों की नियुक्ति और शक्ति का प्रत्यायोजन.

१८. ऐसी शर्तों तथा निर्बन्धनों के अध्यधीन रहते हुए, जैसी कि विहित की जायं, मंडी समिति, अपने कर्त्तव्यों या कृत्यों में से किसी भी कर्त्तव्य या कृत्य के पालन या किसी विषय पर रिपोर्ट देने या राय देने के लिये उपसमितियां नियुक्त कर सकेगी जिससें उसका एक या एक से अधिक सदस्य होंगे और उनमें से किसी भी ऐसी समिति को अपनी शक्तियों में से ऐसी शक्तियां प्रत्यायोजित कर सकेगी जैसी कि आवश्यक हों.

मंडी-फीस के उद्ग्रहण की शक्ति.

१९. (१) प्रत्येक मण्डी समिति, मंडी क्षेत्र में विक्रय के हेतु लाई गई या विक्रय की गई या बेची गई अधिसूचित कृषि उपज पर ऐसी दर से, जो संचालक द्वारा समय-समय पर कृषि-उपज की कीमत के प्रत्येक एक सौ रुपये पर [पच्चीस] पचास पैसे कीन्यूनतम दर या[पचास पैसे] एक रुपये की अधिकतम दर के अध्यधीन रहते हुए नियत की जाय,फीस का उद्ग्रहण करेगी तथा उसका विहित रीति में संग्रहण करेगी.

(२) मंडी-फीस अधिसूचित कृषि उपज के क्रेता द्वारा संदेय होगी और विक्रेता की संदेय कीमत में से नहीं काटी जायगी :

परन्तु यदि अधिसूचित कृषि-उपज का क्रेता पहचाना न जा सके, तो समस्त फीस उस व्यक्ति द्वारा संदेह होगी जो कि उपज को मंडी क्षेत्र में विक्रय के,लिये लाया हो.

(३) उपधारा (१) में निर्दिष्ट की गई फीस किसी मंडी क्षेत्र में किसी अधिसूचित कृषि उपज पर एक बार से अधिक बार नहीं लगाई जायगी. यदि वह उस मंडी क्षेत्र में किन्तु मंडी प्रांगण के बाहर, अनुज्ञप्तिधारी व्यापारियों के बीच वाणिज्यिक संव्यवहारों के दौरान या उपभोक्ताओं को पुन: बेची जाय.

(४) यदि किसी अधिसूचित कृषि-उपज के बारे में यह पाया जाय कि उसका प्रसंस्करण ऐसी उपज पर शोध्य मंडी फीस का भुगतान किये बिना ही किया गया है, तो मण्डी-फीस ऐसी उपज के प्रसंस्कृत उत्पादनों के बाजार मूल्य पर उद्ग्रहीत तथा वसूल की जायगी.

(५) प्रत्येक आढ़तिया, व्यापारी, प्रसंस्करण (प्रोसेसिंग) तथा दबाने (प्रेसिंग) के कारखानों का अधिभोगी तथा स्वामी और अन्य मंडी कृत्यकारी विक्रय तथा क्रय या प्रसंस्करण से संबंधित लेखे ऐसे प्ररूपों में रखेंगे तथा मंडी समिति को ऐसी नियतकालिक विवरणियां प्रस्तुत करेंगे जैसी कि विहित की जांय.

(६) कोई भी अधिसूचित कृषि-उपज या उससे प्रसंस्कृत किया गया कोई उत्पादन, मंडी समिति द्वारा ऐसे प्ररूप में, जैसा कि उपविधियों द्वारा विहित किया जाय, जारी किये गये अनुज्ञा-पत्र के अनुसार ही मूल मंडी से बाहर हटाया जायगा अन्यथा नहीं.

(७) मंडी समिति, मंडी-प्रांगण में प्रवेश करने वाली उन गाडियों पर, जो कि भाडे पर चलती हों, ऐसी दर से, जैसी कि उपविधियों में विनिर्दिष्ट की जाय, प्रवेश फीस का उद्ग्रहण तथा संग्रहण कर सकेगी.

लेखे पेश करने हेतु आदेश देने की शक्ति और प्रवेश, निरीक्षण तथा अभिग्रहण की शक्तियां.

२०. (१) बोर्ड या मंडी समिति का कोई भी अधिकारी या सेवक जो राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत किया गया हो, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये, किसी ऐसे व्यक्ति से, जो किसी भी किस्म की अधिसूचित कृषि-उपज का कारबार करता हो यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह उसके समक्ष ऐसे लेखे तथा अन्य दस्तावेजें पेश करें और कोई ऐसी जानकारी दे जो ऐसी कृषि-उपज के स्टाक या ऐसे व्यक्ति द्वारा ऐसी कृषि-उपज के क्रय विक्रय या परिदान से संबंधित हो तथा कोई ऐसी अन्य जानकारी भी दे जो कि ऐसे व्यक्ति द्वारा मंडी फीस के संदाय से संबंधित हो.

(२) किसी अधिसूचित कृषि-उपज के कारबार के मामूली अनुक्रम में किसी व्यक्ति द्वारा बनाये रखे गये समस्त लेखे तथा रजिस्टर और ऐसी कृषि-उपज के स्टाकों से संबंधित या ऐसी कृषि-उपज के क्रय, विक्रयों तथा परिदानों से संबंधित दस्तावेजें, जो उसके कब्जे में हों, और ऐसे व्यक्ति के कार्यालय, स्थापनाएं, गोदाम, जलयान (वेसल) या गाड़ियां बोर्ड के या मंडी समिति के ऐसे अधिकारियों या सेवकों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत किये जांय, निरीक्षित की जाने/किये जाने के लिये समस्त युक्तियुक्त समयों पर खुली रहेंगी/खुले रहेंगे.

[(३) यदि किसी ऐसे अधिकारी या सेवक को यह संदेह करने का युक्तियुक्त कारण हो कि कोई व्यक्ति धारा १९ के अधीन अपने द्वारा शोध्य किसी मंडी फीस के भुगतान का अपवचन करने का प्रयत्न कर रहा है या यह कि किसी व्यक्ति ने मंडी क्षेत्र में प्रवृत्त इस अधिनियम या नियमों के या उपविधियों के किन्हीं भी उपबंधों के उल्लंघन में किसी अधिसूचित कृषि-उपजका क्रय किया है, तो वह लिखितमें अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से ऐसे व्यक्ति के ऐसे लेखे, रजिस्टर या दस्तावेजें, जैसे कि आवश्यक हों, अभिग्रहीत कर सकेगा तथा उनके लिये एक रसीद देगा और उन्हें तब तक रखे रहेगा जब तक कि वे उनकी परीक्षा के लिये या अभियोजन के लिये आवश्यक हों.]

(४) उपधारा (२) [या उपधारा (३)] के प्रयोजनों के लिये ऐसा अधिकारी या सेवक किसी भी कारबार के स्थान, भण्डागार, कार्यालय, स्थापना, गोदाम, जलयान या गाडी में, जिसके कि संबंध में ऐसे अधिकारी या सेवक को यह विश्वास करने का कारण हो कि उनमें ऐसा व्यक्ति, अपने कारबार के कोई लेखें, रजिस्टर या दस्तावेजें, या अपने कारबार से संबंध रखने वाली अधिसूचित कृषि-उपज के स्टाक रखता है या तत्समय रखे है, प्रवेश कर सकेगा या तलाशी ले सकेगा.

(५) दण्ड प्रक्रिया संहिता, १८९८ (क्रमांक ५ सन् १८९८) धारा को १०२ तथा १०३ के उपबंध, यथाशक्य, उपधारा (४) के अधीन तलाशी को लागू होंगे.

[(६) जहां कोई लेखा पुस्तकें या अन्य दस्तावेजें किसी स्थान से अभिग्रहीत की जाय और उनमें ऐसी प्रविशिष्टियां हों जो परिमाण, भावों (कुटेशन) दरों, धन की प्राप्ति या भुगतान या माल के विक्रय या क्रय के प्रति निर्देश करती हो, वहां

ऐसी लेखा पुस्तकें या अन्य दस्तावेजें उन्हें साबित करने के लिये साक्षी के उपसंजात हुए बिना ही, साक्ष्य के रूप में ग्रहण की जायगी और ऐसी प्रविष्टयां उन मामलों संव्यवहारों तथा लेखाओं की, जिनका कि उनमें अधिलिखित होना तात्पर्यित है, प्रथम साक्ष्य होंगी.]

फीस का सर्वोत्तम विवेक बुद्धि के अनुसार निर्धारण.

२०—क. यदि कोई व्यक्ति, जो धारा २० की उपधारा (१) के अधीन लेखे पेश करने या जानकारी देने के लिये अपेक्षित किया गया हो, ऐसे लेखे पेश करने या ऐसी जानकारी देने से चूक जाय या जानते हुए अपूर्ण या गलत लेखे या जानकारी दे या उसने अधिसूचित कृषि-उपज के विक्रयों तथा परिदान के उचित लेखे नहीं रखे हों, तो मण्डी समिति, विहित रीति में, ऐसे व्यक्ति के संबंध में उस फीस का, जो कि धारा १६ के अधीन उद्ग्रहीत की गई हो, निर्धारण अपनी सर्वोतम विवेक बुद्धि के अनुसार करेगी".

गाड़ियों को रोकने की शक्ति.

२१. (१) किसी भी समय, जब कि बोर्ड या किसी मंडी समिति के किसी ऐसे अधिकारी या सेवक द्वारा, जो कि राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में सशक्त किया गया हो इस प्रकार अपेक्षा की जाय, किसी भी गाड़ी, जलयान या अन्य वाहन का, जो कि मंडी से बाहर लाया जाय या जिसका वहां से बाहर लाया जाना प्रस्थापित हो, चालक या उसका भारसाधक कोई अन्य व्यक्ति यथास्थिति ऐसी गाड़ी, जलयान या अन्य वाहन को रोक देगा और उसे उस समय तक खड़ा रखेगा जो कि युवितयुक्त रूप से आवश्यक हो तथा ऐसे अधिकारी या सेवक को ऐसी गाड़ी, जलयान या अन्य वाहन में की अन्तर्वस्तुओं की परीक्षा करने देगा तथा उसमें ले जायी गई अधिसूचित कृषि-उपज से संबंधित समस्त अभिलेखों का निरीक्षण करने देगा और अपना नाम व पता तथा गाड़ी, जलयान या अन्य वाहन के स्वामी का और ऐसी गाड़ी, जलयान या अन्य वाहन में ले जायी गई अधिसूचित कृषि-उपज के स्वामी का नाम तथा पता देगा.

(२) बोर्ड या किसी मंडी समिति के उस अधिकारी या सेवक को, जो कि उपधारा (१) के अधीन सशक्त किया गया हो, किसी ऐसी अधिसूचित कृषि उपज ऋण का, जो किसी गाड़ी, जलयान या अन्य वाहन में मंडी क्षेत्र से बाहर लाई गई हो या जिसका वहां से बाहर लाया जाना प्रस्थापित हो, अभिग्रहण करने की शक्ति होगी, यदि ऐसे अधिकारी या सेवक को यह विश्वास करने का कारण हो कि ऐसी उपज के संबंध में इस अधिनियम के अधीन शोध्य किसी फीस या अन्य रकम का भुगतान नहीं किया गया है, ऐसे अभिग्रहण की रिपोर्ट, पूर्वोक्त अधिकारी या सेवक द्वारा इस अधिनियम के अधीन अपराधों का विचारण करने की अधिकारिता रखने वाले मैजिस्टेट को तत्काल की जायगी और दण्ड प्रक्रिया संहिता १८९८ (क्रमांक ५ सन् १८९८) की धारा ५२३, ५२४ तथा ५२५ के उपबन्ध, यथाशक्या पूर्वोक्त प्रकार अभिग्रहित की गई अधिसूचित कृषि उपज के संबंध में उसी प्रकार लागू होंगेजिस प्रकार कि किसी पुलिस अधिकारी द्वारा अभिग्रहित की गई संपत्ति के संबंध में लागू होते हैं.

उधार लेने की शक्ति.

२२. मंडी समिति बोर्ड से तथा राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी से किसी भी अन्य अभिकरण से इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये अपेक्षित धन उधार ले सकेगी.

संविदाएं करने की रीति.

२३. (१) इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए स्थावर संपत्ति में के हित के क्रय, विक्रय पट्टे, बन्धक या अन्य अन्तरण के लिये या स्थावर संपत्ति में के हित के अर्जन के लिये मंडी समिति की ओर से कोई भी या संविदा या करार मंडी समिति की मंजूरी से ही निष्पादित किया जायगा अन्यथा नहीं.

(२) उपधारा (१) में यथा उपबंधित के सिवाय,—

(क) मंडी समिति का सचिव ऐसे मामलों के संबंध में, जिनके बारे में वह संविदा या करार करने के लिये मंडी समिति के संकल्प द्वारा साधारणतः या विशेषत: प्राधिकृत किया गया हो, मंडी समिति की ओर से संविदा या करार निष्पादित कर सकेगा जहां कि ऐसी संविदा या करार की रकम या मूल्य दो सौ पचास रुपये से अधिक न हो.

(ख) मंडीं समिति का अध्यक्ष तथा सचिव मंडी समिति की ओर से संविदा या करार संयुक्त रूप से निष्पादित कर सकें जहां कि ऐसी संविदा या करार की रकम या मूल्य एक हजार रुपये से अधिक न हों;

(ग) खण्ड (क) तथा (ख) में निर्दिष्ट किये गये मामलों से भिन्न किसी मामले में मंडी समिति की ओर से कोई संविदा या करार अध्यक्ष, सचिव तथा मंडी समिति के एक सदस्य जो कि संविदा या करार करने के लिये मंडी समिति के संकल्प द्वारा साधारणत: या विशेषत: प्राधिकृत किया गया हो, द्वारा निष्पादित किया जायगा.

(३) मंडीं समिति द्वारा की गई प्रत्येक संविदा लिखित में होगी तथा वह मंडी समिति के ओर से ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित की जायगी जो कि उपधारा (२) के अधीन ऐसा करने के लिये प्राधिकृत किये गये हों.

(४) उपधारा (१), (२) या (३) में उपबंधित किये गये अनुसार निष्पादित की गई संविदा से भिन्न कोई भी संविदा वैध या मंडी समिति पर आबद्धकर नहीं होगी.

(५) (क) भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १९०८ (मांक १६ सन् १९०८), में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी मंडी समिति के अध्यक्ष या किसी सदस्य या अधिकारी या सचिव के लिये यह आवश्यक नहीं होगा की वह अपनी पदीय हैसियत में अपने द्वारा निष्पादित की गई किसी लिखित के रजिस्ट्रीकरण से संबंधित किसी कार्यवाही में किसी रजिस्ट्रीकरण कार्यालय में स्वयं या अभिकर्ता द्वारा उपसंजात हो या उस अधिनियम की धारा ५८ में उपबंधित किये गये अनुसार हस्ताक्षर करे.

(ख) जहां कोई लिखित इस प्रकार निष्पादित की गई हो वहां रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, जिसे कि ऐसी लिखित रजिस्ट्रीकरण के लिये प्रस्तुत की गई हो, यदि वह उचित समझे, ऐसे अध्यक्ष, सदस्य, अधिकारी या सचिव को यह निर्दिष्ट करेगा कि वह उस लिखित के बारे में जानकारी दे और रजिस्ट्रीकरण अधिकारी उसके लिखित के निष्पादन के बारे में अपना समाधान हो जाने पर लिखित को रजिस्ट्रीकृत करेगा.

(६) जहां कोई संविदा या करार किसी मंडी समिति की ओर से किया गया हो, वहां मंडी समिति का सचिव उस तथ्य की रिपोर्ट, मंडी समिति को उसके उस सम्मिलन में देगा जो ऐसी संविदा या करार के किये जाने की तारीख के अव्यवहित पश्चात् बुलाया गया हो तथा किया गया हो.

पांचवां अध्याय—मंडी समिति का कर्मचारी वृन्द.

राज्य विपणन सेवा का गठन.

२४. (१) राज्य सरकार, मंडी समितियों के लिये अधिकारियों का प्रबंध करने के प्रयोजन के लिये एक सेवा का विहित रीति में गठन करेगी जिसे राज्य विपणन सेवा कहा जायगा

(२) राज्य सरकार राज्य विपणन सेवा के सदस्यों की भर्ती, अर्हता, नियुक्ति, पदोन्नति, वेतनमान, छुट्टी, छुट्टी भत्ता, कार्यकारी भत्ता, उधारों पेन्शन, उपदान (ग्रेच्युटी), वार्षिकी, अनुकम्पा, निधि, भविष्यनिधि, पदच्युति हटाये जाने, आचरण, विभागीय दण्ड, अपीलों तथा अन्य सेवा शर्तों के संबंध में नियम बना सकेगी:

परन्तु मंडी समिति को राज्य विपणन सेवा के सदस्यों को पदच्युत करने, हटाने, पदावनत करने, पेन्शन, उपदान, वार्षिकी तथा भविष्य निधि की रकम में कमी करने या उपार्जित छुट्टी मंजूर करने की शक्ति के सिवाय, ऐसे व्यक्तियों पर नियंत्रण की समस्त शक्तियां प्राप्त होगी:

परन्तु यह और भी कि मंडी समिति द्वारा राज्य सरकार विपणन सेवा के किसी सदस्य का निलंबन किया जाने के मामले में, मंडी समिति उस तथ्य की रिपोट ऐसे निलंबन के कारण सहित, निलंबन के आदेश के जारी किये जाने के चौदह दिन के भीतर संचालक को देगी और वह निलंबन आदेश ऐसे आदेशों के अध्यधीन रहते हुए होगा जैसे कि संचालक इस संबंध में पारित करे.

(३) राज्य विपणन सेवा के सदस्य को उनकी सेवा शर्तों के अनुसार दिये जाने के लिये अपेक्षित वेतन भत्ते, उपदान तथा अन्य संदाय मंडी समिति निधि पर भार होंगे.

(४) राज्य सरकार विपणन सेवा के किसी सदस्य का स्थानान्तर एक मंडी समिति से किसी अन्य मंडी समिति को कर सकेगी.

(५) यदि इस प्रयोजन के लिये बुलाये गये किसी विशेष सम्मिलन में, मंडी समिति तत्समय मंडी समिति का गठन करने वाले सदस्यों के आधे से अधिक की वह, संख्या से ऐसा संकल्प पारित करे जिसमें यह अपेक्षा की गई हो कि राज्य विपणन सेवा के किसी सदस्य का स्थानान्तर किया जाय तो राज्य सरकार ऐसे सदस्य का स्थानान्तर कर सकेगी.

सचिव.

२५. (१) प्रत्येक मंडी समिति का एक सचिव होगा जो कि मंडी समिति का प्रधान कार्यपालिक अधिकारी होगा तथा मंडी समिति की समस्त अन्य अधिकारी तथा सेवक उसके अधीनस्थ होंगे.

(२) सचिव राज्य विपणन सेवा का सदस्य होगा तथा वह राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जायगा.

राज्य विपणन सेवा के अन्य अधिकारी.

२६. प्रत्येक मंडी समिति के लिये ऐसे अन्य अधिकारी, जैसे कि राज्य सरकार अवधारित करे, होंगे जो कि राज्य विपणन सेवा के सदस्य होंगे और वे राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किये जायेंगे.

परन्तु एक अधिकारी एक से अधिक मंडी समितियों के लिये नियुक्त किया जा सकेगा.

२७. धारा २४ के अधीन राज्य विपणन सेवा का गठन होने तक के लिये या जब कि ऐसी सेवा का कोई भी सदस्य धारा २५ या २६ के अधीन सचिव या अन्य अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाने के लिये उपलब्ध न हों, तो राज्य सरकार सरकार के किसी अधिकारी को सचिव या ऐसे अन्य अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिये प्रतिनियुक्त कर सकेगी.

राज्य विपणन सेवा का गठन होने तक के लिये सचिव तथा अन्य अधिकारियों की नियुक्ति.

२८. (१) प्रत्येक मंडी समिति ऐसे अन्य अधिकारियों तथा सेवकों की नियुक्ति कर सकेगी जो कि उसके कर्त्तव्यों के दक्षतापूर्ण निर्वहन के लिये आवश्यक तथा उचित हो:

कर्मचारी वृन्द की नियुक्ति.

परन्तु किसी भी पद का सृजन संचालक की पूर्व मंजूरी के बिना नहीं किया जायगा.

(२) मंडी समिति उपधारा (१) के अधीन नियुक्त किये गये अधिकारियों तथा सेवकों की नियुक्ति, वेतन, छुट्टी, छुट्टी भत्ते तथा अन्य सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिये तथा उनको शक्तियां कर्त्तव्य एवं कृत्य प्रत्यायोजित करने के लिये उपबंध करने के हेतु उपविधियां बना सकेगी.

छठवां अध्याय—व्यापार का विनियमन

२९. कोई भी व्यक्ति किसी अधिसूचित कृषि उपज के संबंध में, मंडी क्षेत्र में आढतिया, व्यापारी, दलाल, तुलैया, हम्माल, सर्वेक्षक, भांडागारिक, प्रसंस्करण के या दबाने (प्रेसिंग) के कारखानों के स्वामी या अधिभोगी या ऐसे अन्य मंडी कृत्यकारी के रूप में, जैसा कि मंडी समिति उपविधियों द्वारा विनिर्दिष्ट करे, कार्य इस अधिनियम के तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों तथा उपविधियों के अनुसार ही करेगा अन्यथा नहीं.

मंडी-क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यक्तियों का विनियमन.

३०. (१) धारा २९ में विनिर्दिष्ट किया गया प्रत्येक व्यक्ति, जो मंडी क्षेत्र में कार्य करना चाहता हो, अनुज्ञप्ति की मंजूरी या उसके नवीकरण के लिये मंडी समिति को ऐसी रीति में तथा ऐसी कालावधि के भीतर, जैसी कि उपविधियों द्वारा विहित की जाय, आवेदन करेगा.

अनुज्ञप्तियां मंजूर करने की शक्ति.

(२) ऐसे प्रत्येक आवेदन-पत्र के साथ ऐसी फीस संलग्न की जायगी जैसी कि संचालक, विहित की गई सीमाओं के अध्यधीन रहते हुए, इस संबंध में विनिर्दिष्ट करे.

(३) मंडी समिति अनुज्ञप्ति मंजूर कर सकेगी या उसका नवीकरण कर सकेगी या लिखित में अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से, अनुज्ञप्ति को मंजूर करने या उसका नवीकरण करने से इंकार कर सकेगी:

परन्तु यदि मंडी समिति, अनुज्ञप्ति की मंजूरी या उसके नवीकरण के लिये आवेदन प्राप्त होने की तारीख से छः सप्ताह के भीतर अनुज्ञप्ति मंजूर करने में या उक्त तारीख से एक पखवाड़े के भीतर अनुज्ञप्ति का नवीकरण करने में चूक करती है, तो यह समझा जायगा कि यथास्थिति अनुज्ञप्ति मंजूर कर दी गई है या उसका नवीकरण कर दिया गया है.

(४) इस धारा के अधीन मंजूर की गई या नवीकृत की गई समस्त अनुज्ञप्तियां इस अधिनियम के तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों तथा उपविधियों के उपबंधों के अध्यधीन होंगी.

(५) कोई भी आढतिया या दलाल किसी भी उत्पादक विक्रेता या व्यापारी-क्रेता के बीच किसी संव्यवहार में किसी विक्रेता की ओर से न तो कार्य करेगा और न वह

उत्पादक विक्रेता को देय विक्रय आगम में से कमीशन या दलाली लेखे कोई रकम काटेगा और न वह क्रेता तथा विक्रेता दोनों की ओर से कार्य करेगा.

अनुज्ञप्तियां रद्द करने या निलंबित करने की शक्ति.

३१. (१) उपधारा (४) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए मंडी समिति, लिखित में अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से, किसी अनुज्ञप्ति को निलंबित या रद्द कर सकेगी :—

(क) यदि अनुज्ञप्ति जानबूझकर दुर्व्यपदेशन या कपट द्वारा प्राप्त की गई हो; या

(ख) यदि उस अनुज्ञप्ति का धारक या कोई सेवक या उसकी अभिव्यक्त या विवक्षित अनुज्ञा से उसकी ओर से कार्य करने वाला कोई भी व्यक्ति अनुज्ञप्ति के निबंधनों या शर्तों में से किसी भी निबंधन या शर्त का भंग करता है; या

(ग) यदि अनुज्ञप्ति का धारक अन्य अनुज्ञप्ति धारकों के साथ मिलकर अधिसूचित कृषि-उपज के विपणन को मंडी प्रांगण / प्रांगणों में जानबूझकर बाधित करने, निलंबित करने या रोकने के आशय से मंडी-क्षेत्र में कोई कार्य करे या अपना प्रसामान्य कारबार चलाने से प्रविरत रहे और जिसके परिणामस्वरूप किसी उपज का विपणन बाधित हो गया हो, निलंबित हो, गया हो या रुक गया हो;

(घ) यदि अनुज्ञप्ति का धारक दिवालिया हो गया हो;

(ङ) यदि अनुज्ञप्ति का धारक कोई ऐसी निरर्हता, जैसी कि विहित की जाय, उपगत करले ; या

(च) यदि धारक इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का सिद्धदोष ठहराया जाय.

(२) उपधारा (४) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, मंडी समिति का अध्यक्ष, किसी अनुज्ञप्ति को, किसी ऐसे कारण से, जिसके कि लिये कोई मंडी समिति किसी अनुज्ञप्ति को उपधारा (१) के अधीन निलंबित कर सकेगी, एक मास से अनधिक कालावधि के लिये, लिखित में अभिलिखित किये जाने वाले कारण से, निलंबित कर सकेगा [.] :

परन्तु ऐसा आदेश, उसके किये जाने की तारीख से सात दिन की कलावधि का अवसान हो जाने पर, जब तक कि ऐसे अवसान के पूर्व मंडी समिति द्वारा उसकी (आदेश की) पुष्टि न कर दी गई हो, प्रभावहीन हो जायेगा.

(३) उपधारा (१) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किन्तु उपधारा (४) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, संचालक लिखित में अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से, किसी भी अनुज्ञप्ति को, जो कि मंडी समिति द्वारा मंजूर की गई हो या नवीकृत की गई हो, आदेश द्वारा निलंबित या रद्द कर सकेगा :

परन्तु इस उपधारा के अधीन कोई भी आदेश, मंडी समिति को सूचना दिये बिना, नहीं किया जायगा.

(४) इस धारा के अधीन कोई अनुज्ञप्ति तब तक निलंबित या रद्द नहीं की जायगी, जब तक कि उसके धारक को ऐसे निलंबन या रद्दकरण के विरुद्ध हेतु दर्शाने का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो.

३२. (१) अध्यक्ष, मंडी समिति या [संचालक] कलेक्टर के किसी आदेश द्वारा, जो कि धारा ३१ के अधीन पारित किया गया हो, व्यथित कोई भी व्यक्ति,—— अपील

(क) जहां ऐसा आदेश अध्यक्ष द्वारा पारित किया गया हो, वहां मंडी समिति को;

(ख) जहां ऐसा आदेश मंडी समिति द्वारा पारित किया गया हो, वहां [संचालक] कलेक्टर को; और

(ग) जहां ऐसा आदेश [संचालक] कलेक्टर द्वारा पारित किया गया हो, वहां राज्य सरकार को,

अपील कर सकेगा.

(२) उपधारा (१) के अधीन अपील;

(एक) जहां ऐसी अपील अध्यक्ष के आदेश के विरुद्ध हो, आदेश की प्राप्ति की तारीख से सात दिन के भीतर, और

(दो) जहां ऐसी अपील मंडी समिति या [संचालक] कलेक्टर के आदेश के विरुद्ध हो, आदेश की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के भीतर,

ऐसी रीती में, जैसी कि उपविधियों द्वारा विहित की जाय, की जायगी.

"(२-क) अपील प्राधिकारी उस आदेश को, जिसके कि विरुद्ध अपील की गई हो, ऐसी कावालधि के लिये, जैसी कि वह उचित समझे, रोके जाने की मंजूरी दे सकेगा यदि वह ऐसा करना आवश्यक समझे."

(३) अध्यक्ष, मंडी समिति तथा संचालक द्वारा पारित किया गया आदेश, इस धारा के अधीन अपील में दिये गये आदेश के अध्यधीन रहते हुए, अंतिम होगा तथा किसी विधिन्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जायगा.

इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन विहित व्यापारिक छूटों से भिन्न व्यापारिक छूटों का प्रतिषेध.

३३. (१) इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन विहित व्यापारिक छूटों से भिन्न कोई भी व्यापारिक छूट अधिसूचित कृषि उपज के संबंध में किसी संव्यवहार में किसी भी मंडी क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति द्वारा न तो दी जायगी अथवा न वसूल की जायगी और कोई भी सिविल न्यायालय किसी ऐसे संव्यवहार से उद्भूत होनेवाले किसी वाद या कार्यवाही में, किसी ऐसी व्यापारिक छूट पर, जो कि इस प्रकार विहित न की गई हो, ध्यान नहीं देगा.

(२) किसी पात्र के वजन का उसी प्रकार के पात्र से धड़ा किया जायगा तथा पात्र के वजन का धड़ा करने के लिये किसी भी रूप में कोई भी कटौती नहीं करने दी जायगी.

अधिसूचित कृषि उपज का मंडियों में विक्रय.

३४. (१) मूल मंडी में विक्रय के लिये लाई गई समस्त अधिसूचित कृषि-उपज, ऐसी उपज के लिये विनिर्दिष्ट किये गये मंडी प्रांगण में लाई जायगी और उपधारा (२) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, ऐसे प्रांगण के बाहर किसी अन्य स्थान पर नहीं बेची जायगी.

(२) ऐसी अधिसूचित-कृषि-उपज, जो वाणिज्यक संव्यवहार के अनुक्रम में अनुज्ञापित व्यापारियों द्वारा मंडी क्षेत्र के बाहर से क्रय की जाय, मंडी क्षेत्र में कहीं भी उपविधियों के उपबंधों के अनुसार लाई तथा बेची जा सकेगी :

परन्तु किसी आढ़तिया द्वारा, कमीशन के आधार पर अपने माध्यम से विक्रय के लिये प्राप्त ई कोई कृषि-उपज मंडी प्रांगण में बेची जायगी.

(३) मंडी-प्रांगण में विक्रय के लिये लाई गई अधिसूचित कृषि-उपज की कीमत निविदा बोली या खुले नीलाम पद्धति द्वारा तय की जायगी तथा तय हुए मूल्य में किसी भी कारण से कोई कटौती नहीं की जायगी.

(४) किसी अनुज्ञापित व्यापारी द्वारा मंडी प्रांगण में क्रय की गई अधिसूचित कृषि उपज, उसके द्वारा मंडी प्रांगण के बाहर, किसी अन्य अनुज्ञापित व्यापारी को करार या नमूना या किसी मानक संविदा के आधार पर, ऐसी अन्य रीति में, जैसा कि मंडी समिति संचालक के अनुमोदन से विनिर्दिष्ट करे, पुनः बेची जा सकेगी:

परन्तु जहां कोई संव्यवहार, नमूना या किसी मानक संविदा के आधार पर तय हुआ हो तथा उपज नमूने या मानक के अनुरूप न पाई जाये, वहां ऐसी भिन्नता के कारण कीमत में कटौती इस संबंध में मंडी समिति द्वारा विरचित उपविधियों के अनुसार की जा सकेगी.

(५) इस धारा के अधीन व्यापारियों के बीच, संव्यवहार दलालों के मार्फत किये जा सकेंगे.

क्रय तथा विक्रय की शर्तें.

३५. (१) कोई भी व्यक्ति, जो अधिसूचित कृषि उपज का मंडी क्षेत्र में क्रय करेगा, विक्रेता के पक्ष में तीन प्रतियों में करार, ऐसे प्रारूप में, जैसा कि विहित किया जाये, निष्पादित करेगा, करार की एक प्रति क्रेता के द्वारा रखी जायेगी, एक प्रति विक्रेता को दी जायेगी तथा शेष प्रति मंडी समिति के अभिलेख में रखी जायेगी.

(२) मंडी प्रांगण में क्रय की गई कृषि उपज की कीमत का विक्रेता को [उसी दिन भुगतान किया जायेगा]. विक्रेता को यथासंभव उसी दिन भुगतान किया जायेगा तथा किसी भी दशा में चौबीस घंटे के पश्चात् नहीं.

(३) अधिसूचित कृषि उपज के उत्पादकों के साथ अनुज्ञापित व्यापारियों द्वारा, ऐसी उपज का कोई भी थोक संव्यवहार मन्डी प्रांगण के सिवाय, सीधे नहीं किया जायगा.

(४) आढ़तिया केवल अपने नियोक्ता व्यापारी से ही ऐसी दरों से, जैसी कि उपविधियों में विनिर्दिष्ट की जाये अपना कमीशन वसूल कर सकेगा. जिस कमीशन के अन्तर्गत ऐसे व्यय आते हैं जो उपज के भंडारकरण के संबंध में, तथा उसके द्वारा की गई अन्य सेवाओं के संबंध में उसके द्वारा उपगत किये जायं.

(५) प्रत्येक आढ़तियां, इस बात के लिये दायी होगा कि वह—

(क) अपने नियोक्ता का माल सुरक्षित अभिरक्षा में रखे, तथा उसे अपने को देय कमीशन से भिन्न किसी प्रभार के बिना, अग्नि के विरुद्ध उचित रूप में, बीमा कराकर रखे, और

(ख) ज्योंही माल बिक जाये, उसकी कीमत का, भुगतान अपने नियोक्ता को कर दे चाहे उसने ऐसे माल के क्रेता से कीमत प्राप्त की हो या न प्राप्त की हो.

सातवां अध्याय—मण्डी समिति निधि

मंडी समिति निधि.

३६. (१) मंडी समिति द्वारा प्राप्त हुये समस्त धन एक निधि में, जो "मंडी समिति निधि" कहलायेगी, संदत्त किये जायेंगे, और मंडी समिति द्वारा इस अधिनियम के अधीन या उसके प्रयोजनों के लिये उपगत किये गये समस्त व्यय, उक्त निधि में से चुकाये जायेंगे, ऐसे व्यय की पूर्ति किये जाने के पश्चात् मंडी समिति के पास बचा हुआ कोई अधिशेष, ऐसी रीति में, जैसी कि विहित की जाये, विनिहित किया जायेगा :

परन्तु समस्त ऐसी धनराशियां, जो प्रतिभूति निक्षेप, भविष्य निधि के प्रति किये गये अभिदायों के रूप में या किसी अधिसूचित कृषि-उपज के संबंध में भुगतान के लिये या तुलैया, हम्माल तथा अन्य कृत्यकारियों को देय प्रभारों के लिये मंडी समिति द्वारा, प्राप्त की गई हों, मंडी समिति निधि का भाग नहीं होंगी किन्तु उनका लेखांकन अलग से किया जायगा.

(२) मंडी समिति निधि में के समस्त धन तथा उपधारा (१) में विनिर्दिष्ट की गई अन्य राशियां किसी सहकारी बैंक में या यदि समिति के मुख्यालय पर ऐसा बैंक विद्यमान न हो तो डाकघर बचत बैंक में या किसी ऐसे बैंक में जो बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, १९७० (क्रमांक ५ सन् १९७०) की प्रथम अनुसूची में तत्समय नवीन बैंक के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया हो, निक्षिप्त की जायगी.

मंडी समिति निधि का उपयोजन.

३७. धारा ३६ के उपबंध के अध्यधीन रहते हुये, मंडी-समिति-निधि के केवल निम्नलिखित प्रयोजनों के लिये व्यय की जा सकेंगी, अर्थात् :—

(एक) मंडी प्रांगणों के लिये स्थान या स्थानों का अर्जन;

(दो) मंडी प्रांगणों का अनुरक्षण एवं सुधार ;

(तीन) ऐसी मंडी के प्रयोजनों के लिये तथा मण्डी प्रांगण का उपयोग करने वाले व्यक्ति की सुविधा एवं सुरक्षा के लिये आवश्यक भवनों का निर्माण तथा उनकी मरम्मत;

(चार) मानक बांटों तथा मापों को बनाये रखना;

(पांच) स्थापना संबंधी प्रभारों की पूर्ति जिनके अंतर्गत उन अधिकारियों तथा सेवकों के जो कि मंडी समिति द्वारा नियोजित किये गये हों; भविष्य निधि, पेंशन तथा उपदान लेखे किये जाने वाले भुगतान तथा अभिदाय भी आते हैं;

(छः) उन उधारों पर, जो कि मंडी के प्रयोजनों के हेतु लिये जायं, ब्याज का भुगतान तथा ऐसे उधारों के संबंध में निक्षेप निधि की व्यवस्था;

(सात) फसल संबंधी आंकड़ों तथा कृषि-उपज के विपणन की जानकारी का संग्रहित किया जाना तथा प्रसारित किया जाना;

(आठ) (क) मंडी समिति के लेखाओं की संपरीक्षा करने में उपगत किये गये व्यय;

(ख) अध्यक्ष को मानदेय, मंडी समिति के अध्यक्ष तथा सदस्यों का यात्रा भत्ता एवं सम्मिलन में हाजिर होने के लिये सदस्य को देय बैठक फीस का भुगतान;

(ग) राज्य मंडी विकास निधि के प्रति अभिदाय;

(घ) राज्य सरकार के आदेश को कार्यान्वित करने के लिये तथा किसी अन्य अधिनियम के अधीन मंडी समिति को न्यस्त किये गये किसी अन्य कार्य के लिये किसी व्यय की पूर्ति;

(ङ) कृषि उत्पादन की वृद्धि तथा वैज्ञानिक भंडारकरण के लिये किसी स्कीम के प्रति अभिदाय;

(च) मंडी क्षेत्र में कृषकों के लिये संचार साधन जैसी सुविधाओं की व्यवस्था करना;

(छ) कृषि उपज के विकास के लिये तथा मंडी क्षेत्र में कल्याणकारी क्रियाकलापों के लिये व्यवस्था करना.

(नौ) राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी के अध्यधीन रहते हुए, कोई अन्य प्रयोजन, जिस पर मंडी समिति निधि में से किया जाने वाला व्यय लोक हित में हो.

आठवां अध्याय—मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड.

३८. (१) ऐसी तारीख से, जिसे कि राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा इस संबंध में नियत करे, मध्यप्रदेश राज्य के लिये एक बोर्ड स्थापित किया जायगा जो मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड कहलायेगा.

(२) बोर्ड एक निगमित निकाय होगा, उसका शाश्वत उत्तराधिकार होगा तथा उसकी एक सामान्य मुद्रा होगी, और वह अपने निगमित नाम से वाद चला सकेगा तथा उक्त नाम से उसके विरुद्ध वाद चलाया जा सकेगा और वह किसी भी संपत्ति को अर्जित करने तथा धारण करने, पट्टे पर देने, बेचने या अन्यथा अन्तरित करने के लिये तथा संविदा करने के लिये और इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये आवश्यक समस्त अन्य बातें करने के लिये सक्षम होगा.

बोर्ड की रचना.

३९. (१) [बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य होंगे,] बोर्ड में अध्यक्ष तथा निम्नलिखित अन्य सदस्य होंगे, अर्थात् :—

[(एक) कृषि मंत्री;]

(दो) राज्य के प्रत्येक राजस्व संभाग में स्थित मंडी समितियों के अध्यक्षों में से राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया गया एक व्यक्ति;

(तीन) अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन परिसंघ;

[(चार) अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक;]

(पांच) भारतीय खाद्य निगम के निदेशकों के बोर्ड का एक प्रतिनिधि;

(छः) सचिव, मध्यप्रदेश शासन कृषि विभाग;

(सात) रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, मध्यप्रदेश;

(आठ) संचालक;

(नौ) कृषि संचालक;

[(दस) राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किये गये दो अन्य सदस्य जिनमें से एक व्यापारियों की संस्था (एसोसियेशन आफ ट्रेडर्स) का प्रतिनिधि होगा.]

"(दस) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किये गये चार सदस्य जिनमें से दो व्यापारी होंगे."

[(२) कृषि मंत्री बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होगा, और बोर्ड उपधारा (१) के खंड(२) में विनिर्दिष्ट किए गए अपने संदस्यों में से एक उपाध्यक्ष निर्वाचित करेगा]

"(२) राज्य सरकार अध्यक्ष को नामनिर्दिष्ट करेगी जो कोई मंत्री या राज्य सरकार का कोई अधिकारी नहीं होगा और बोर्ड उपधारा (१) के खण्ड (दो) में विनिर्दिष्ट किये गये अपने सदस्यों में से एक उपाध्यक्ष निर्वाचित करेगा".

(३) बोर्ड का एक सचिव होगा जो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जायगा.

(४) बोर्ड ऐसे अन्य अधिकारी तथा सेवक नियुक्त करेगा जो इस अधिनियम के अधीन उसके कर्तव्यों के दक्षतापूर्ण निर्वहन के लिये आवश्यक हों.

४०. (१) बोर्ड के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष की तथा बोर्ड के उन सदस्यों की, कि जो धारा ३९ की उपधारा (१) के खण्ड (दो), (पांच) तथा (दस) में विनिर्दिष्ट किये गये हैं, पदावधि पांच वर्ष होगी: पदावधि.

परन्तु पूर्वोक्त खण्ड (दो) के अधीन आनेवाला सदस्य मंडी समिति का अध्यक्ष न रहने पर बोर्ड के सदस्य के पद का धारणकर्ता नहीं रह जायगा.

(२) बोर्ड के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य की पदावधि के अवसान के पूर्व उसकी मृत्यु या पद त्याग की दशा में, ऐसे पद की आकस्मिक रिक्ति हुई समझी जायेगी और ऐसी रिक्ति यथाशक्य शीघ्र उस पद पर किसी व्यक्ति को बोर्ड के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य के रूपमें यथास्थिति निर्वाचित या नामनिर्देशित करके भरी जायगी जो तत्काल पद ग्रहण करेगा और अपने पूर्वाधिकारी की असमाप्त पदावधि तक के लिये ऐसा पद धारण करेगा.

४१. (१) प्रत्येक मंडी समिति, बोर्ड को अपनी सकल प्राप्तियों के जिसमें अनुज्ञप्ति फीस तथा मंडी फीस समाविष्ट है, दस प्रतिशत से अनधिक ऐसी प्रतिशतता का, जैसी कि राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा समय-समय पर घोषित करे, प्रतिमास भुगतान करेगी और राज्य सरकार बोर्ड को उतनी रकम का अनुदान देगी जो कि मंडी समितियों द्वारा बोर्ड को भुगतान की गई कुल रकम के बराबर हों. इस प्रकार संग्रहित रकम "मध्यप्रदेश राज्य विपणन विकास निधि" कहलायेगी. राज्य विपणन विकास निधि.

(२) ये समस्त व्यय जो कि बोर्ड ने अपने द्वारा मंजूर किये गये बजट के अनुसार उपगत किये हों, उक्त निधि में से चुकाये जायेंगे.

४२. मध्यप्रदेश राज्य विपणन विकास निधि बोर्ड द्वारा निम्नलिखित प्रयोजनों के लिये उपयोग में लाई जायेगी, अर्थात् :— प्रयोजन जिनके लिए मध्यप्रदेश राज्य विपणन विकास निधि व्यय की जावेगी.

(एक) मंडी सर्वेक्षण तथा गवेषणा, कृषि उपज का श्रेणीकरण तथा मानकीकरण तथा अन्य संबद्ध विषय;

(दो) कृषि उपज के क्रय तथा विक्रय की शर्तों के सामान्य सुधार संबंधी विषयों के बारे में प्रचार तथा प्रकाशन एवं विस्तार सेवाएं;

(तीन) वित्तीय रूप से कमजोर मंडी समितियों को उधारों तथा अनुदानों के रूप में सहायता देना;

(चार) बोर्ड के कर्तव्यों का पालन करने के लिये भवनों का अर्जन या निर्माण;

(पांच) बोर्ड द्वारा नियोजित किये गये अधिकारियों तथा सेवकों को वेतन, छुट्टी-भत्ते, उपदान, अन्य भत्तों तथा भविष्य निधि का तथा प्रतिनियुक्ति पर के सरकारी सेवकों के लिये पेन्शन-अभिदाय का भुगतान;

(छः) बोर्ड के सदस्यों को यात्रा तथा अन्य भत्ते;

(सात) मण्डी समिति का अधिक अच्छा नियंत्रण;

(आठ) बोर्ड द्वारा उपगत किये गये किन्हीं विधिक व्ययों की पूर्ति करना;

(नौ) कृषि-उपज के नियमित वितरण में शिक्षण प्रदान करना;

(दस) राज्य में मण्डी समिति के अधिकारियों तथा कर्मचारीवृन्द को प्रशिक्षण देना; और

(ग्यारह) कृषि-उपज के विपणन का विनियमन करने के लिये सामान्य हित का कोई अन्य प्रयोजन.

उधार लेने की बोर्ड की शक्ति.

४३. बोर्ड, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिये, राज्य सरकार से धन उधार ले सकेगा या राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से,—

(एक) किसी अन्य अभिकरण से धन उधार ले सकेगा; या

(दो) उसमें निहित किसी संपत्ति के प्राधिकार पर या इस अधिनियम, या उसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन उसे प्रोदभूत होने वाली उसकी भावी आय के किसी भाग की प्रतिभूति पर डिबेन्चर जारी कर सकेगा.

बोर्ड के कर्तव्य तथा कृत्य.

४४. बोर्ड,—

(क) धारा ४३ में विनिर्दिष्ट किये गये कृत्यों को, जिन पर बोर्ड की निधि व्यय की जा सकेगी, यथासंभव कार्यान्वित करेगा;

(ख) राज्य सरकार द्वारा उसे निर्दिष्ट किये गये समस्त विषयों पर सलाह देगा;

(ग) इस अधिनियम के तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन राज्य सरकार की ऐसी शक्तियों का, जो कि बोर्ड को प्रत्यायोजित की जायं, प्रयोग करेगा;

(घ) राज्य सरकार को समय-समय पर स्वेच्छा से निम्नलिखित विषयों पर सलाह देगा:—

(एक) कृषि-उपज की कीमत नियत करने में अनुसरण किये जाने वाले सिद्धांत;

(दो) मंडियों का दक्षतापूर्वक प्रबंध करने के लिये की जाने वाली कार्यवाही;

(तीन) वह रीति, जिसमें कृषि-उपज की आमद के आंकड़े तथा कृषि उपज के प्रेषणों संबंधी आंकड़े संकलित किये जाने चाहियें तथा बनाये रखे जाने चाहियें और प्रसारित किये जाने चाहियें;

(चार) इस अधिनियम में तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों में संशोधन;

(पांच) कोई ऐसा विषय जो इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिये आवश्यक हो.

बोर्ड के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की शक्तियां.

४५. बोर्ड के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेंगे जैसी कि विहित की जायं.

नवां अध्याय—शास्ति

धारा ६ या धारा २९ के उल्लंघन के लिये शास्ति.

४६. जो कोई धारा ६ के खण्ड (ख) या धारा २९ के उपबन्धों का उल्लंघन करेगा वह, दोषसिद्धि पर कारावास से, जिसकी अवधि छः मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच सौ रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से, दण्डित किया जायगा और चालू रहने वाले उल्लंघन की दशा में ऐसे और जुर्माने से दण्डित किया जायगा जो प्रथम दोषसिद्धि के पश्चात् प्रत्येक ऐसे दिन के लिये, जिसके दौरान उल्लंघन चालू रहे, एक सौ रुपये तक का, धारा १ के खण्ड (ख) के उल्लंघन के मामले में, तथा पचास रुपये तक का, धारा २९ के उल्लंघन के मामले में, हो सकेगा:

परन्तु न्यायालय के निर्णय में विशेष तथा पर्याप्त प्रतिकूल कारणों के वर्णित न होने पर, द्वितीय या किसी पश्चात्वर्ती अपराध के लिये दण्ड तीन मास की अवधि के कारावास तथा पांच सौ रुपये के जुर्माने से कम नहीं होगा.

अन्य धाराओं के उल्लंघन के लिये शास्ति.

४७. (१) जो कोई धारा ३३ के उपबन्धों के उल्लंघन में, कोई अप्राधिकृत व्यापारिक छूट देगा या लेगा, वह, दोष सिद्ध पर, कारावास से, जो तीन मास तक का हो सकेगा, या जुर्माने से, जो दो सौ रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से दण्डित किया जायगा तथा पश्चात्वर्ती उल्लंघन की दशा में कारावास से, जो छः मास तक का हो सकेगा, या जुर्माने से, जो पांच सौ रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जायेगा.

(२) जो कोई मण्डी समिति द्वारा मंजूर की गई अनुज्ञप्ति की किसी शर्त का उल्लंघन करेगा वह, दोषसिद्धि पर, जुर्माने से, जो पांच सौ रुपये तक का हो सकेगा दण्डित किया जायगा.

(३) जो कोई किसी अधिकारी को, लेखाओं का निरीक्षण करने में या मण्डी समिति के कार्यकलापों की जांच करने में बाधा पहुंचायेगा या धारा ५२ की उपधारा (१) के खण्ड (घ) के अधीन जारी किये गये किसी आदेश का अनुपालन करने में चूक करेगा वह, दोषसिद्धि पर, जुर्माने से दण्डित किया जायगा जो प्रत्येक ऐसे दिन के लिये, जिसके कि दौरान अपराध चालू रहे, दो सौ रुपये तक का हो सकेगा.

(४) यदि मण्डी समिति का कोई अधिकारी, सेवक या सदस्य, जब कि वह मण्डी समिति के कार्यकलापों या कार्यवाहियों के बारे में जानकारी देने के लिये धारा ५२ की उपधारा (१) के खण्ड (क) के अधीन अपेक्षित किया जाय,—

(क) कोई जानकारी देने में जानबूझकर उपेक्षा करेगा या कोई जानकारी देने से इन्कार करेगा; या

(ख) जानबूझकर मिथ्या जानकारी देगा

तो वह दोषसिद्धि पर, जुर्माने से, जो पांच सौ रुपये तक का हो सकेगा, दन्डित किया जायगा.

(५) जो कोई धारा ५२ की उपधारा (३) के उपबन्धों के उल्लंघन में, किसी प्राधिकृत व्यक्ति को मण्डी समिति की किन्हीं पुस्तकों, अभिलेखों, निधियों या संपत्ति का अभिग्रहण करने या कब्जा लेने में बाधा पहुंचायेगा या ऐसे व्यक्ति को उसका परिदान देने में चूक करेगा, वह, दोषसिद्धि पर, जुर्माने से, जो दो सौ रुपये तक का हो सकेगा, दण्डित किया जायगा.

(६) कोई भी व्यक्ति, जो इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों या उपविधियों के उपबन्धों के अधीन मण्डी समिति को शोध्य किसी फीस या अन्य राशि के भुगतान में कपटपूर्वक अपवंचन करेगा या किन्हीं तुलैयों या हम्माल को पारिश्रमिक लेखे शोध्य भुगतान करने में अपवंचन करेगा या अपने नियोजन के लिये पारिश्रमिक की मांग विक्रेता अथवा क्रेता के प्राधिकार के बिना करेगा या इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों और उपविधियों के अनुसार न मांग कर अन्य प्रकार से पारिश्रमिक की मांग करेगा, वह, दोषसिद्धि पर, जुर्माने से, जो पांच सौ रुपये तक का हो सकेगा, दण्डित किया जायगा और चालू रहने वाले उल्लंघन की दशा में ऐसे और जुर्माने से दण्डित किया जायगा जो उसके लिये दोषसिद्धि के पश्चात् प्रत्येक ऐसे दिन के लिये, जिसके कि दौरान ऐसा उल्लंघन चालू रहे, एक सौ रुपये तक का हो सकेगा.

(७) जो कोई इस अधिनियम के या उसके अधीन बनाये गये नियमों या उपविधियों में से किसी भी नियम या उपविधि के किसी उपबंध का उल्लंघन करेगा, वह, यदि उस अपराध के लिये कोई अन्य शास्ति उपबंधित न की गई हो, जुर्माने से, जो दो सौ रुपये तक का हो सकेगा, दन्डित किया जायगा.

मण्डी समिति तथा अध्यक्ष की शास्तियां अधिरोपित करने की शक्तियां.

४८. (१) मण्डी समिति तथा उसका अध्यक्ष किसी अनुज्ञापित मण्डी कृत्यकारी या विक्रेता पर, किसी उपविधि के उल्लंघन के लिये परिनिन्दा की या जुर्माने की शास्तियां अधिरोपित कर सकेगा :

परन्तु मण्डी समिति पच्चीस रुपये से अधिक जुर्माना अधिरोपित करने के लिये सक्षम नहीं होगी तथा अध्यक्ष पांच रुपये से अधिक जुर्माना अधिरोपित करने के लिये सक्षम नहीं होगा :

परन्तु यह और भी कि इस अधिनियम के अधीन कोई भी शास्ति संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिये बिना, अधिरोपित नहीं की जायगी.

(२) उपधारा (१) के अधीन किये गये आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील, ऐसे व्यक्ति द्वारा आदेश की प्राप्ति की तारीख से [पन्द्रह] तीस दिन के भीतर, [संचालक] कलेक्टर को कर सकेगा और उस पर संचालक का विनिश्चय अंतिम होगा.

४९. (१) जब कभी कोई व्यक्ति इस अधिनियम के या उसके अधीन बनाये गये नियमों या उपविधियों के अधीन किसी अपराध का सिद्ध-दोष ठहराया जाय तब मजिस्ट्रेट, किसी ऐसे जुर्माने के अतिरिक्त जो कि अधिरोपित किया जाय, अनुज्ञप्ति के लिये प्रभारणीय फीस तथा कृषि-उपज पर या अन्यथा देय अन्य फीस की रकम वसूल करेगा और मण्डी समिति को उसका भुगतान कर देगा. अनुज्ञप्ति-फीस की वसूली तथा मंडी समितियों को जुर्माने का भुगतान.

(२) मण्डी-क्षेत्र में किये गये अपराधों के लिये, किसी न्यायालय द्वारा इस अधिनियम के या उसके अधीन बनाये गये किसी नियम या उपविधि के उपबन्धों के अधीन अधिरोपित किये गये समस्त जुर्माने राज्य के राजस्व में जमा किये जायेंगे और किसी वित्तीय वर्ष के दौरान इस प्रकार जमा की गई कुल रकम का, राज्य सरकार द्वारा मण्डी समिति निधि के प्रति अभिदाय किया जायगा.

५०. (१) द्वितीय वर्ग के मजिस्ट्रेट से निम्न वर्ग का कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के या उसके अधीन बनाये गये किसी नियम या उपविधि के अधीन किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा. अपराधों का संज्ञान.

(२) कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के या उसके अधीन बनाये गये किसी नियम या किसी उपविधि के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का मण्डी समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सचिव द्वारा किये गये या मण्डी समिति द्वारा इस सम्बन्ध में सम्यक् रूप से प्राधिकृत किये गये किसी व्यक्ति द्वारा किये गये परिवाद पर ही संज्ञान करेगा अन्यथा नहीं.

५१. (१) मण्डी समिति या उसकी उप-समिति किसी ऐसे व्यक्ति से, जिसके कि संबंध में यह अभिकथित हो कि उसने इस अधिनियम के या उसके अधीन बनाये गये नियमों या उपविधियों के अधीन अपराध किया है, प्रतिकर के रूप में ऐसी धनराशि प्रतिग्रहीत कर सकेगी जो पांच सौ रुपये से अधिक न हो. अपराधों का शमन.

(२) अपराध के अभियुक्त व्यक्ति द्वारा ऐसी धनराशि के भुगतान किये जाने पर, ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध कोई और कार्यवाही नहीं की जायगी और यदि उस अपराध के सम्बन्ध में उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही किसी न्यायालय में पहले ही संस्थित कर दी गई हो तो ऐसे भुगतान का प्रभाव यह होगा कि वह उससे दोष मुक्त हो जायगा.

दसवां अध्याय—नियंत्रण

५२. (१) संचालक— मंडियों का निरीक्षण तथा मंडी समिति के कार्य-कलापों के संबंध में जांच.

(क) किसी मण्डी समिति के लेखाओं तथा कार्यालयों का निरीक्षण कर सकेगा या करवा सकेगा;

(ख) किसी मण्डी समिति के कार्यकलापों के संबंध में जांच कर सकेगा;

(ग) किसी मंडी समिति से ऐसी विवरणी, विवरण, लेख या रिपोर्ट, जिसके कि देने की, ऐसी समिति से अपेक्षा करना वह उचित समझे, मंगा सकेगा;

(घ) किसी मन्डी समिति से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह—

(एक) किसी भी ऐसी आपत्ति पर, जिसका कि उसे किसी ऐसी बात के किये जाने में, जो कि ऐसी समिति द्वारा या उसकी ओर से की जाने वाली हो या की जा रही हो, विद्यमान होना प्रतीत होता हो, अवैधता, असमीचीनता या अनौचित्य के आधार पर विचार करले, या

(दो) किसी ऐसी जानकारी पर विचार करले जो कि वह (संचालक) दे सकता हो और जिसके कि सम्बन्ध में उसे (संचालक को यह प्रतीत हो कि उससे किसी बात का ऐसी समिति द्वारा किया जाना आवश्यक हो जायगा;

(ङ) यह निर्देश दे सकेगा कि कोई ऐसी बात, जो की जाने वाली हो या जो की जा रही है, उत्तर पर विचार के लम्बित रहने तक, नहीं की जाना चाहिये, और कोई ऐसी बात, जो की जानी चाहिये किन्तु नहीं की जा रही है, ऐसे समय के भीतर, जिसके कि संबंध में वह निर्देश दे, की जानी चाहिये.

(२) जब किसी मन्डी समिति के कार्यकलापों का इस धारा के अधीन अन्वेषण किया जाय या किसी मन्डी समिति की कार्यवाही की परीक्षा धारा ५६ के अधीन राज्य सरकार द्वारा की जाय, तब ऐसी समिति के समस्त अधिकारी, सेवक तथा सदस्य मन्डी समिति के कार्यकलापों या कार्यवाही के बारे में अपने कब्जे में की ऐसी जानकारी देंगे जो कि यथास्थिति राज्य सरकार, संचालक या प्राधिकृत किये गये अधिकारी को अपेक्षित हो.

(३) किसी ऐसे अधिकारी को, जो उपधारा (१) के अधीन किसी मण्डी समिति के कार्यकलापों का अन्वेषण कर रहा हो या राज्य सरकार को, जो धारा ५६ के अधीन किसी मन्डी समिति की कार्यवाही की परीक्षा कर रही हो, यह शक्ति प्राप्त होगी कि वह मण्डी समिति के अधिकारियों या सदस्यों को, उन्हीं उपायों से तथा यथासम्भव उसी रीति में, जैसी कि किसी सिविल न्यायालय के मामले में सिविल प्रक्रिया संहिता, १९०८ (क्रमांक ५ सन् १९०८) द्वारा उपबन्धित है, समन करे या हाजिर कराये तथा साक्ष्य देने एवं दस्तावेजें पेश करने के लिये उन्हें विवश करे.

(४) जहां संचालक को यह विश्वास करने का कारण हो कि मन्डी समिति की पुस्तकों तथा अभिलेखों में गड़बड़ कर दी जाना या उन्हें नष्ट कर दिया जाना संभाव्य है या किसी मन्डी समिति की निधियों या सम्पत्ति का दुर्विनियोग या दुरुपयोजन किया जाना संभाव्य है, वहां संचालक, अपने द्वारा लिखित में सम्यक् रूप से प्राधिकृत किये गये किसी व्यक्ति को यह निर्देश देते हुए आदेश जारी कर सकेगा कि वह मन्डी समिति की ऐसी पुस्तकों तथा अभिलेखों, निधियों तथा संपत्ति का अभिग्रहण करले एवं उनका कब्जा प्राप्त करले और मन्डी समिति का ऐसा अधिकारी या उसके ऐसे अधिकारीगण, जो ऐसी पुस्तकों, अभिलेखों, निधियों तथा संपत्ति की अभिरक्षा के लिये उत्तरदायी हों उनका परिदान इस प्रकार प्राधिकृत किये गये व्यक्ति को करेंगे/करेगा.

मंडी समिति के सदस्य, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का हटाया जाना.

५३. (१) राज्य सरकार, स्वप्रेरणा से या तत्समय मन्डी समिति का गठन करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत द्वारा पारित किये गये संकल्प पर, मन्डी समिति के किसी सदस्य को अवचार के कारण या उसके कर्तव्य के पालन में उपेक्षा या अक्षमता के कारण हटा सकेगी और इस प्रकार हटाये जाने पर उसे, इस प्रकार हटाये जाने की तारीख से छः वर्ष की कालावधि के लिये मन्डी समिति के सदस्य के रूप में पुनः निर्वाचित या पुनःनामनिर्दिष्ट नहीं किया जायगा.

परन्तु इस प्रकार हटाये जाने का कोई आदेश तब तक पारित नहीं किया जायगा जब तक ऐसे सदस्य को, यह हेतुक दर्शाने का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो कि ऐसा आदेश क्यों न पारित किया जाय.

(२) संचालक किसी मन्डी समिति के किसी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को अवचार के कारण या उसके कर्त्तव्य के पालन में उपेक्षा या अक्षमता के कारण या उसके कर्त्तव्यों के निर्वहन में बारबार असावधान रहने के कारण उसके पद से हटा सकेगा और इस प्रकार हटा दिये जाने पर यथास्थिति अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, मन्डी समिति के सदस्य के रूप में अपनी पदावधि के शेष भाग के दौरान, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में पुन: निर्वाचन के लिये पात्र नहीं होगा:

परन्तु हटाये जाने का कोई आदेश तब तक पारित नहीं किया जायगा जब तक कि यथास्थिति अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को, यह हेतुक दर्शाने का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो कि ऐसा आदेश क्यों न पारित किया जाय.

मंडी समिति का अतिष्ठान.

५४. (१) यदि राज्य सरकार की राय में, कोई मण्डी समिति इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उस पर अधिरोपित किये गये कर्त्तव्यों का पालन करने में सक्षम नहीं है या उनका पालन करने में बारबार व्यतिक्रम करती है या अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करती है, तो वह, अधिसूचना द्वारा, ऐसी समिति को प्रथमत: दो वर्ष से अनधिक कालावधि के लिये अतिष्ठित कर सकेगी और अतिष्ठान की कालावधि को आदेश द्वारा, समय-समय पर बढ़ा सकेगी, परन्तु अतिष्ठान की कुल कालावधि तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी :

परन्तु इस उपधारा के अधीन अधिसूचना जारी करने के पूर्व, राज्य सरकार, प्रस्थापना के विरुद्ध हेतुक दर्शाने के लिये मन्डी समिति को युक्तियुक्त अवसर देगी और मन्डी समिति के स्पष्टीकरणों तथा आपत्तियों पर, यदि कोई हो, विचार करेगी.

(२) किसी मन्डी समिति को अतिष्ठित करते हुए उपधारा (१) के अधीन अधिसूचना के प्रकाशित होने पर, निम्नलिखित परिणाम होंगे, अर्थात् :—

(क) मन्डी समिति के समस्त सदस्यों तथा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के सम्बन्ध में, ऐसे प्रकाशन की तारीख से यह समझा जायगा कि उन्होंने अपने-अपने पद रिक्त कर दिये हैं;

(ख) मन्डी समिति में निहित समस्त आस्तियां, उसके समस्त दायित्वों के अध्याधीन रहते हुए, राज्य सरकार में निहित हो जायंगी.

(३) जब कोई मन्डी समिति अतिष्ठित कर दी गई हो, तो—

(क) राज्य सरकार, स्वविवेकानुसार मन्डी समिति के कृत्यों को कार्यान्वित करने के लिये उपयुक्त व्यक्ति या व्यक्तियों को नियुक्त कर सकेगी तथा अतिष्ठित की गई मन्डी समिति की ऐसी आस्तियां एवं दायित्व, जो कि ऐसे अन्तरण की तारीख को हों, ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को अन्तरित कर सकेगी; और

(ख) अतिष्ठान की कालावधि का अवसान होने के पूर्व किसी भी समय, राज्य सरकार धारा ६ के अधीन नवीन समिति का गठन कर सकेगी तथा अतिष्ठित की गई समिति की वे आस्तियां तथा दायित्व, जो कि ऐसे अन्तरण की तारीख को हों, उसे अन्तरित कर सकेगी.

धारा ११ के अधीन विघटन के परिणाम.

५४-क (१) जहां कोई मण्डी समिति धारा ११ की उपधारा (६-क) के अधीन विघटित हो जाय वहां निम्नलिखित परिणाम होंगे अर्थात् :—

(क) मण्डी समिति के समस्त सदस्यों और उसके अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के संबंध में यह समझा जायगा कि उन्होंने उक्त उपधारा के अधीन ऐसी मण्डी समिति के विघटित होने की तारीख से अपने पद रिक्त कर दिये हैं ;

(ख) इस अधिनियम के अधीन मंडी समिति की समस्त शक्तियों का प्रयोग तथा उसके (मंडी समिति के) समस्त कर्त्तव्यों का पालन, राज्य सरकार के नियंत्रण के अध्ययीन रहते हुए,—

(एक) ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसे भारसाधक अधिकारी कहा जायगा, या

(दो) सात से अनधिक व्यक्तियों से मिलकर बनने वाली ऐसी समिति द्वारा, जो कि विहित की गई रीति में गठित की जायगी और जिसे भारसाधक समिति कहा जायगा,

जिसे कि राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा इस संबंध में नियुक्त करे, किया जायगा :

परन्तु राज्य सरकार, किसी भी समय, भारसाधक अधिकारी के स्थान पर भारसाधक समिति और भारसाधक समिति के स्थान पर भारसाधक अधिकारी नियुक्त कर सकेगी ;

(ग) मण्डी समिति में निहित समस्त संपत्ति, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये, भारसाधक अधिकारी में या भारसाधक समिति में न्यासतः निहित हो जायगी.

(२) किसी भी भारसाधक अधिकारी को या उपधारा (१) के खण्ड (ख) के अधीन भारसाधक समिति में नियुक्त किये गये किसी भी व्यक्ति का या समस्त व्यक्तियों को, राज्य सरकार द्वारा, किसी भी समय, हटाया जा सकेगा जिसे (राज्य सरकार को) उसके स्थान पर या उनके स्थानों पर यथास्थिति अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को नियुक्त करने की शक्ति होगी.

(३) कोई भी व्यक्ति, जो उपधारा (१) के अधीन भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया हो, अपनी सेवाओं के लिये ऐसा वेतन तथा भत्ते, जो कि राज्य सरकार द्वारा नियत किये जायं, मण्डी समिति निधि से प्राप्त करेगा तथा भारसाधक समिति का प्रत्येक सदस्य ऐसी दर से भत्ते प्राप्त करेगा जिस दर से कि भत्ते मण्डी समिति के सदस्यों को देय हों.

(४) यथापुनर्गठित मण्डी समिति के प्रथम साधारण सम्मिलन के लिये नियत की गई तारीख से भारसाधक अधिकारी पद पर नहीं रहेगा या भारसाधक समिति कृत्य करना बन्द कर देगी.

हानि, दुर्व्यय या दुरुपयोजन आदि के लिये अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्यों तथा कर्मचारियों का दायित्व.

५५. (१) यदि, धारा ५२ के अधीन की गई जांच या किये गये निरीक्षण के अनुक्रम में या इस अधिनियम के अधीन की गई संपरीक्षा के अनुक्रम में यह पाया जाय कि किसी ऐसे व्यक्ति ने, जिसे किसी मन्डी समिति का प्रबंध सौंपा गया है या सौंपा गया था या मण्डी समिति के किसी मृत, भूतपूर्व या वर्तमान अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य, मण्डी समिति के सचिव, या उसके किसी अन्य अधिकारी या कर्मचारी ने ऐसी समिति क या उसके नियंत्रणाधीन किसी धन या अन्य सम्पत्ति का संदाय या उपयोजन, किसी भी ऐसे प्रयोजन के लिये, जो इस अधिनियम के या उसके अधीन बनाये गये नियमों या उपविधियों के उपबन्धों के प्रतिकूल हो, किया हो या उसके करने का, उससे संबंधित किसी सकारात्मक मत या कार्यवाही में अनुमति देकर या सहमति देकर या उसमें भाग लेकर, निदेश दिया हो या घोर उपेक्षा या अवचार के द्वारा कोई कमी या हानि कारित की हो या मन्डी समिति के किसी भी धन का या अन्य संपत्ति का दुर्विनियोग किया हो या उसे कपटपूर्वक प्रतिधारित किया हो, तो संचालक, स्वप्रेरणा से या मण्डी समिति का आवेदन प्राप्त होने पर, ऐसे व्यक्ति के आचरण के सम्बन्ध में, उस तारीख से, जिसको कि वह कार्य या कार्यलोप हुआ हो, पांच वर्ष के भीतर, या उस तारीख से, जिसको कि उस की जानकारी संचालक को हुई हो, एक वर्ष के भीतर, जो भी पूर्वतर हो, स्वयं जांच कर सकेगा या इस सम्बन्ध में लिखित आदेश द्वारा अपने द्वारा सम्यक्-रूप से प्राधिकृत किये गये अपने अधीनस्थ किसी भी अधिकारी को उस जांच के करने के लिये निदेश दे सकेगा.

(२) यदि उपधारा (१) के अधीन की गई जांच हो जाने पर संचालक का यह समाधान हो जाय कि इस उपधारा के अधीन आदेश देने के लिये अच्छे आधार हैं, तो वह ऐसे व्यक्ति से या मृत व्यक्ति के मामले में उसके विधिक प्रतिनिधि से, जिसको उसकी संपदा विरासत में मिली हो, यह अपेक्षा करते हुए आदेश दे सकेगा कि वह उस धन या उस संपत्ति का या उसके किसी भी भाग का ऐसी दर से ब्याज सहित प्रति-संदाय या वापसी करे या अभिदाय तथा खर्च या प्रतिकर का ऐसी सीमा तक संदाय करे जिसे कि संचालक न्यायसंगत एवं साम्यापूर्ण समझे :

परन्तु इस उपधारा के अधीन कोई भी आदेश तब तक नहीं किया जायगा जब तक कि संबंधित व्यक्ति को उस विषय में सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो :

परन्तु यह और भी कि मृतक के विधिक प्रतिनिधि का दायित्व मृतक की उस संपत्ति की सीमा तक ही होगा जो कि ऐसे विधिक प्रतिनिधि को विरासत में प्राप्त हुई हो.

(३) उपधारा (२) के अधीन किये गये किसी आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति, उसको आदेश प्राप्त होने की तारीख से साठ दिन के भीतर राज्य सरकार को अपील कर सकेगा और राज्य सरकार के आदेश के अध्यधीन रहते हुए संचालक का आदेश अंतिम एवं निश्चायक होगा.

(४) उपधारा (२) या उपधारा (३) के अधीन पारित किया गया कोई भी आदेश किसी भी विधि-न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जायगा.

(५) उपधारा (२) या उपधारा (३) के अधीन किया गया कोई भी आदेश संचालक का आवेदन प्राप्त होने पर स्थानीय अधिकारिता रखने वाले, किसी भी सिविल न्यायालय द्वारा, उसी रीति में प्रवर्तित किया जायगा मानो कि वह ऐसे न्यायालय की डिक्री हो, या कोई भी ऐसी रकम, जिसके कि सम्बन्ध में ऐसे आदेश द्वारा यह निदेशित किया गया हो कि उसका भुगतान किया जाय, भू-राजस्व के बकाया की भांति वसूल की जा सकेगी.

मण्डी समितियों की कार्यवाहियों मंगाने की सरकार की शक्ति.

५६. राज्य सरकार, किसी भी समय, मण्डी समिति द्वारा किये गये किसी भी विनिश्चय की या पारित किये गये किसी भी आदेश की वैधता या औचित्य के बारे में स्वयं का समाधान करने के प्रयोजन के लिये किसी भी मण्डी समिति की कार्यवाहियां को मंगा सकेगी तथा उसकी परीक्षा कर सकेगी. यदि किसी भी मामले में राज्य सरकार को यह प्रतीत हो कि कोई भी विनिश्चय या आदेश या इस प्रकार मंगायी गई कार्यवाही उपान्तरित की जानी चाहिये या बातिल की जानी चाहिये या उसे उलट दिया जाना चाहिये, तो राज्य सरकार उस पर ऐसे आदेश पारित कर सकेगी जैसे कि वह उचित समझे :

परन्तु राज्य सरकार द्वारा ऐसा कोई भी आदेश मन्डी समिति या उसके (आदेश के) द्वारा प्रभावित पक्षकारो को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिये बिना पारित नहीं किया जायगा.

ग्यारहवां अध्याय— प्रकीर्ण

अनुसूची को संशोधित करने की राज्य सरकार की शक्ति.

५७. राज्य सरकार, अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई कृषि-उपज की मदों में से किसी भी मद में, अधिसूचना द्वारा, परिवर्द्धन या संशोधन कर सकेगी या उसे निकाल सकेगी और तदुपरान्त अनुसूची तद्नुसार संशोधित हुई समझी जायगी :

परन्तु इस धारा के अधीन कोई भी अधिसूचना, राज्य सरकार के ऐसी अधिसूचना जारी करने के आशय की कम से कम छः सप्ताह की, जैसा कि राज्य सरकार युक्तियुक्त समझे, पूर्व सूचना राजपत्र में दिये बिना जारी नहीं की जायगी.

मण्डी समिति या बोर्ड को शोध्य राशियों की वसूली.

५८. (१) कोई भी ऐसी राशि, जो इस अधिनियम के या उसके अधीन बनाये गये किसी नियम या उपविधि के उपबन्धों के अधीन किसी प्रभार, खर्चो, व्ययों, फीसों, भाटक या किसी अन्य लेखे के कारण किसी मण्डी समिति या बोर्ड को शोध्य हो, उसी रीति में वसूली योग्य होगी जिसमें कि भू-राजस्व का बकाया वसूली योग्य होता है.

(२) यदि कोई ऐसा प्रश्न उद्भूत हो कि क्या कोई राशि उपधारा (१) के अधीन शोध्य है, तो वह प्रश्न संचालक को निर्दिष्ट किया जायगा और वह (संचालक), ऐसी जांच, जैसी कि वह उचित समझे, करने के पश्चात् और उस व्यक्ति को, जिससे कि वह राशि शोध्य होना अभिकथित है, सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, उस प्रश्न को विनिश्चित् करेगा, और उसका विनिश्चय अन्तिम होगा तथा किसी भी विधि न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जायगा.

पुलिस अधिकारी के कर्त्तव्य.

५९. प्रत्येक पुलिस अधिकारी का यह कर्त्तव्य होगा कि वह कोई भी ऐसी जानकारी, जो कि इस अधिनियम के या उसके अधीन बनाये गये किसी नियम या उपविधि के विरुद्ध कोई अपराध करने के किसी प्रयत्न के या ऐसे किसी अपराध के किये जाने के बारे में उसे प्राप्त हो, यथाशक्य शीघ्र मण्डी समिति को संसूचित करे तथा मण्डी समिति के सचिव या किसी अधिकारी या सेवक की, जो कि अपने विधिपूर्ण प्राधिकार के प्रयोग में उसकी (पुलिस अधिकारी की) सहायता मांगे, सहायता करे.

हानि, कमी तथा वसूल न होने योग्य फीसों के बट्टेखाते डालने की शक्ति.

६०. जब कभी यह पाया जाय कि किसी मण्डी समिति को शोध्य कोई रकम वसूल न होने योग्य है या यह पाया जाय कि उसका परिहार कर दिया जाना चाहिये या जब कभी किसी समिति के धन या सामान या अन्य संपत्ति की कोई हानि किसी व्यक्ति के कपट या उपेक्षा के कारण या किसी अन्य कारण से हुई हो और यह पाया

जाय कि वह संपत्ति या धन वसूल न होने योग्य है, तब मण्डी समिति यह आदेश दे सकेगी कि उन सबको यह दर्शा कर बट्टेखाते डाल दिया जाय कि वे खो गये है / खो गई हैं, वसूल न होने योग्य हैं या कि उनका परिहार कर दिया गया है, जैसी भी कि दशा हो :

परन्तु यदि किसी मामले में रकम एक सौ रुपये से अधिक हो, तो ऐसा आदेश संचालक के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रभावी नहीं होगा.

६१. मण्डी समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य, सचिव, अन्य प्राधिकारी तथा सेवक और बोर्ड के उपाध्यक्ष, सदस्य, अधिकारी तथा अन्य सेवक भारतीय दन्ड संहिता, १८६० (क्रमांक ४५ सन् १८६०) की धारा २१ के अर्थ के अन्तर्गत लोक सेवक समझे जायंगे.

मण्डी समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य, अधिकारी तथा सेवक या बोर्ड के उपाध्यक्ष आदि लोक सेवक होंगे.

६२. (१) राज्य सरकार, धारा ७६ के अधीन नियम बनाने की शक्ति को छोड़कर, इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उसको (राज्य सरकार को) प्रदत्त शक्तियों में से कोई भी शक्ति बोर्ड को या राज्य सरकार के किसी ऐसे अधिकारी को, जो संचालक के पद से निम्न पद का न हो, प्रत्यायोजित कर सकेगी.

शक्तियों का प्रत्यायोजन.

(२) संचालक, इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उसको प्रदत्त शक्तियों में से कोई भी शक्ति राज्य सरकार के किसी ऐसे अधिकारी को, जो सहायक कृषि संचालक के पद से निम्न पद का न हो, प्रत्यायोजित कर सकेगा.

६३. किसी भी ऐसी बात के सम्बन्ध में, जो इस अधिनियम के या उसके अधीन बनाये गये नियमों या उपविधियों के अधीन सद्भावपूर्वक की गई हो या जिसका सद्भावपूर्वक किया जाना आशयित रहा हो, संचालक या राज्य सरकार के किसी भी अधिकारी के विरुद्ध या बोर्ड या किसी मण्डी समिति के विरुद्ध या बोर्ड या किसी मण्डी समिति के किसी अधिकारी या सेवक के विरुद्ध या किसी ऐसे व्यक्ति के, जो कि संचालक, ऐसे अधिकारी, बोर्ड या ऐसी समिति के निदेशों के अधीन तथा अनुसार कार्य कर रहा हो, विरुद्ध कोई भी वाद नहीं होगा.

सिविल वाद का वर्जन.

६४. बोर्ड या किसी मण्डी समिति के विरुद्ध कोई वाद तब तक संस्थित नहीं किया जायगा जब तक कि ऐसी लिखित सूचना के, जिसमें कि वाद-हेतुक, इच्छुक वादी का नाम तथा निवास स्थान तथा वह अनुतोष, जिसका कि वह दावा करता हो, कथित हो, उसे परिदत्त कर दिये जाने या उसके कार्यालय में दे दिये जाने के ठीक पश्चात् दो मास का अवसान न हो गया हो. ऐसा प्रत्येक वाद खारिज कर दिया जायगा यदि वह अभिकथितवाद-हेतु के प्रोद्भूत होने की तारीख से छः मास के भीतर संस्थित न किया गया हो.

सूचना न दिये जाने की दशा में वाद का वर्जन.

६५. बोर्ड या किसी मण्डी समिति या उसकी उप-समितियों में से किसी भी उप-समिति का कोई भी कार्य केवल इस कारण से अविधिमान्य नहीं होगा कि—

कार्यवाहियां रिक्ति के कारण अविधिमान्य नहीं होंगी.

(क) उसमें कोई रिक्ति है या उसके गठन में त्रुटि है; या

(ख) उसके सदस्य के रूप में कार्य करने वाले किसी व्यक्ति के निर्वाचन, नाम निर्देशन या नियुक्ति में कोई त्रुटी है; या

(ग) उसकी प्रक्रिया में कोई ऐसी अनियमितता है, जो मामले के गुणागुण पर प्रभाव नहीं डालती.

बारहवां अध्याय—मण्डी की सीमाओं में परिवर्तन

कृषि-उपज की धारा ४ के अधीन अधिसूचना में सम्मिलित करने या उसमें से उसे अपवर्जित करने के लिये अधिसूचना.

६६. राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, किसी भी प्रकार की कृषि-उपज को धारा ४ के अधीन जारी की गई अधिसूचना में सम्मिलित कर सकेगी या उसमें से उसे अपवर्जित कर सकेगी :

परन्तु इस धारा के अधीन कोई भी अधिसूचना, राज्य सरकार के ऐसी अधिसूचना जारी करने के आशय को कम से कम ६ सप्ताह की, जैसी कि वह (राज्य सरकार) युक्तियुक्त समझे, पूर्व सूचना राजपत्र में दिये बिना जारी नहीं की जायगी.

मंडी-क्षेत्रों की सीमाओं में परिवर्तन करने या उन्हें समामेलित करने या उनको विपाटित करने के आशय की अधिसूचना.

६७. (१) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा,—

(एक) मंडी-क्षेत्र में, उसके समीपवर्ती किसी अन्य क्षेत्र को सम्मिलित करके या उसमें से किसी ऐसे क्षेत्र को, जो उसमें समाविष्ट हो अपवर्जित करके मन्डी-क्षेत्र की सीमाओं में परिवर्तन करने के; या

(दो) दो या अधिक मन्डी-क्षेत्रों को समामेलित करने के तथा उनके लिये एक मन्डी समिति गठित करने के; या

(तीन) किसी मन्डी-क्षेत्र को विपाटित करने के तथा उसके लिये दो या अधिक मन्डी समितियां गठित करने के; या

(चार) किसी मन्डी को बन्द करने के अपने आशय को संज्ञापित कर सकेगी.

(२) उपधारा (१) के अधीन जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना में यथास्थिति उस क्षेत्र की, जिसे कि किसी मन्डी-क्षेत्र में सम्मिलित किया जाना या जिसे किसी मन्डी-क्षेत्र में से अपवर्जित किया जाना आशयित हो, या उन मन्डी-क्षेत्रों की, जिनको कि समामेलित करके एक मन्डी-क्षेत्र बनाया जाना आशयित हो, या किसी विद्यमान मन्डी-क्षेत्र को विपाटित करने के पश्चात् गठित की जाने के लिये आशयित मन्डियों में से प्रत्येक मन्डी के क्षेत्र की या उस मन्डी के, जिसका कि बन्द किया जाना आशयित हो, क्षेत्र की सीमायें परिनिश्चित की जायगी और उपर्युक्त प्रत्येक अधिसूचना में छः सप्ताह से कम न होने वाली वह कालावधि भी विनिर्दिष्ट की जायगी जिसके कि भीतर आपत्तियां, यदि कोई हों, राज्य सरकार द्वारा प्राप्त की जायेंगी.

धारा ६७ के अधीन अधिसूचना के पश्चात् की प्रक्रिया.

६८. (१) धारा ६७ की उपधारा (१) के अधीन जारी की गई अधिसूचना से प्रभावित मन्डी-क्षेत्र या मन्डी-क्षेत्रों का कोई भी निवासी, यदि उसे उस अधिसूचना में अन्तर्विष्ट किसी बात के बारे में आपत्ति हो, अपनी लिखित आपत्तियां राज्य सरकार को, ऐसी कालावधि के भीतर प्रस्तुत कर सकेगा, जो कि उक्त अधिसूचना में इस प्रयोजन के लिये विनिर्दिष्ट की गई हों.

(२) जब उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की गई कालावधि का अवसान हो गया हो, और जब राज्य सरकार ने उन आपत्तियों पर, जो कि उक्त कालावधि के भीतर

उसको प्रस्तुत की गई हों, विचार कर लिया हो तथा आदेश पारित कर दिये हों, तब राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा,—

(क) उस क्षेत्र को या उसके किसी भाग को मंडी-क्षेत्र में सम्मिलित कर सकेगी या उसमें से उसे अपवर्जित कर सकेगी; या

(ख) समामेलित किये गये मन्डी-क्षेत्रों के लिये नवीन मन्डी समिति का गठन कर सकेगी; या

(ग) किसी विद्यमान मन्डी-क्षेत्र को विपाटित कर सकेगी और ऐसे क्षेत्रों के लिये यथास्थिति दो या अधिक मन्डी समितियों का गठन कर सकेगी; या

(घ) मन्डी को बन्द कर सकेगी.

सीमाओं का परिवर्तन, समामेलन या विपाटन होने पर मंडी समितियों के गठन आदि के संबंध में पारिणामिक आदेश देने की राज्य सरकार की शक्ति.

६९. (१) जहां धारा ६८ के अधीन अधिसूचना जारी की गई हो, वहां राज्य सरकार निम्नलिखित के सम्बन्ध में ऐसे पारिणामिक आदेश दे सकेगी जैसे कि वह उचित समझे—

(क) परिवर्तित क्षेत्र के लिये मन्डी समिति का गठन जब कि कोई स्थानीय क्षेत्र किसी मन्डी-क्षेत्र में सम्मिलित किया गया हो या उसमें से अपवर्जित किया गया हो;

(ख) उन विद्यमान मन्डी समितियों का, जो कि समामेलित की गई हों, विघटन और तत्पश्चात्, समामेलित मन्डी समिति का गठन जबकि दो या अधिक मन्डी समितियां समामेलित की गई हों;

(ग) विपाटित की गई मन्डी समिति का विघटन और तत्पश्चात्, उसके स्थान पर स्थापित की गई मन्डी समितियों का गठन तथा उससे आनुषंगिक बातें.

(२) धारा १० के उपबन्ध उपधारा (१) के अधीन किसी मन्डी समिति के गठन को उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार कि वे प्रथम बार स्थापित की गई किसी मन्डी के लिये मन्डी समिति के गठन को लागू होते हैं.

सीमाओं के परिवर्तन का परिणाम.

७०. जहां मन्डी-क्षेत्र में से कोई क्षेत्र अपवर्जित करते हुए तथा किसी ऐसे क्षेत्र को किसी अन्य मन्डी क्षेत्र में सम्मिलित करते हुए धारा ६८ के अधीन अधिसूचना जारी की गई हो वहां राज्य सरकार, मन्डी समिति से परामर्श करने के पश्चात्, यह अवधारित करने के लिये स्कीम बनायेगी कि एक मन्डी समिति में निहित आस्तियों तथा अन्य संपत्तियों का कौन सा भाग अन्य मन्डी समिति में निहित होगा और मन्डी समितियों के दायित्वों को उन दो मन्डी समितियों के बीच किस रीति में प्रभावित किया जायगा और ऐसी स्कीम राजपत्र में प्रकाशित किये जाने की तारीख से प्रवृत्त होगी.

समामेलन का परिणाम.

७१. समामेलित मन्डी-क्षेत्रों के लिये नवीन मन्डी समिति का गठन करते हुए धारा ६८ के अधीन अधिसूचना जारी होने पर निम्नलिखित परिणाम होंगे अर्थात्:—

(क) धारा ६८ के अधीन समामेलन की तारीख के ठीक पूर्व किसी मन्डी समिति के नियंत्रणाधीन समस्त संपत्ति, जिसमें निधियां भी सम्मिलित हैं नवीन मन्डी समिति की संपत्ति तथा निधि हो जायेंगी;

(ख) समामेलित मन्डी-क्षेत्रों की मन्डी समितियों के कर्मचारी, जब तक कि इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार कलेक्टर द्वारा अन्यथा आदेश न दिया जाय, सेवा में बनाये रखे जायंगे और नवीन मन्डी समिति द्वारा नियुक्त कर्मचारी समझे जायेंगे;

(ग) ऐसे समस्त नियम, उपविधियां, आदेश तथा अधिसूचनायें, जो धारा ६८ के अधीन समामेलन की तारीख से ठीक पूर्व समामेलित मन्डी समितियों के क्षेत्र में प्रवृत्त हों, ऐसे विषयों से, जो कि राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में जारी की गई अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किये जायं, संबंधित नियमों, उपविधियों, आदेशों तथा अधिसूचनाओं को छोड़कर, निरस्त हो जायंगी, और उसमें विनिर्दिष्ट किये गये विषयों से सम्बन्धित नियम, उपविधियां, आदेश तथा अधिसूचनायें नवीन मन्डी समिति के क्षेत्र में सर्वत्र तब तक प्रवर्तित रहेंगी जब तक कि उन्हें इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार परिवर्तित, संशोधित या रद्द न कर दिया जाय :

परन्तु ऐसा निरसन, की गई समस्त कार्यवाहियों तथा बातों के सम्बन्ध में मध्यप्रदेश जनरल क्लाजेज एक्ट, १९५७ (क्रमांक ३ सन् १९५८) की धारा १० के उपबन्धों द्वारा शासित होगा; और

(घ) कोई भी ऐसा अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता या दायित्व, जो कि धारा ६८ के अधीन समामेलित मन्डी समितियों द्वारा अर्जित, प्रोद्भूत या उपगत किया गया हो, नवीन मन्डी समिति द्वारा अर्जित, प्रोद्भूत या उपगत किया गया अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता या दायित्व समझा जायगा.

विपाटन का परिणाम.

७२. (१) किसी मन्डी-क्षेत्र को दो या अधिक मन्डी-क्षेत्रों में विपाटित करते हुए धारा ६८ के अधीन अधिसूचना के जारी होने पर, निम्नलिखित परिणाम होंगे, अर्थात् :—

(क) धारा ६८ के अधीन ऐसी मन्डी समिति के मन्डी-क्षेत्र का विपाटन किया जाने के ठीक पूर्व मूल मन्डी समिति के क्षेत्र में प्रवृत्त ऐसे समस्त नियम, उपविधियां तथा आदेश नवीन मन्डी समितियों में समाविष्ट क्षेत्रों में तब तक प्रवृत्त रहेंगे जब तक उन्हें इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार परिवर्तित, संशोधित या रद्द न कर दिया जाय;

(ख) ऐसी समस्त शक्तियों तथा कर्त्तव्यों का, जिनका कि इस अधिनियम के अधीन विभिन्न प्राधिकारियों द्वारा प्रयोग किया जाना हो या पालन किया जाना हो, जब तक कि नवीन मन्डी-क्षेत्रों में से प्रत्येक मन्डी-क्षेत्र के लिये मन्डी समिति का गठन न हो जाय, प्रयोग तथा पालन कलेक्टर या ऐसे अन्य अधिकारी द्वारा, जिसके कि बारे में राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, निदेश दे, किया जायगा;

(ग) मूल मन्डी समिति में निहित समस्त सम्पत्ति, राज्य सरकार के किन्हीं भी आदेशों के अध्यधीन रहते हुए, नवीनतः गठित मन्डी समिति के क्षेत्रों के प्रयोजन के लिये, कलेक्टर या ऐसे अन्य

अधिकारी द्वारा धारण की जायगी तथा व्यय की जायगी; और

(घ) जब तक कि मंडी समितियों का गठन न हो जाय, कलेक्टर या ऐसे अन्य अधिकारी को, मूल मन्डी समिति द्वारा वाद चलाये जाने या उसके विरुद्ध वाद चलाये जाने के प्रयोजनों के लिये ऐसे लंबित वादों या कार्यवाहियों को, जो कि उक्त मूल मंडी समिति द्वारा या उसके विरुद्ध चलाई गई हों, चालू रखे जाने के लिये मूल मंडी समिति का प्रतिनिधि समझा जायगा.

(२) उस दिन, जिसको कि नवीन मंडी-क्षेत्रों में मंडी समितियों का गठन हो जाय, कलेक्टर ऐसे प्रत्येक मण्डी-क्षेत्र की मंडी समिति को, उसकी अधिकारिता के अधीन क्षेत्र के सम्बन्ध में प्रशासन सौंप देगा.

विपाटित मंडी समिति की आस्तियों तथा दायित्वों का प्रभाजन.

७३. (१) मूल मंडी-क्षेत्र की किसी मंडी समिति की आस्तियां तथा दायित्व, इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार, नवीनतः गठित किये गये नवीन मंडी-क्षेत्रों की विभिन्न मंडी समितियों में प्रभाजित कर दिये जायंगे.

(२) डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न पद का ऐसा अधिकारी, जिसे राज्य सरकार आदेश द्वारा इस सम्बंध में नियुक्त करे, निम्नलिखित विषयों के सम्बन्ध में कलेक्टर को रिपोर्ट देगा, अर्थात् :—

(क) मूल मंडी-क्षेत्र की मंडी समिति की आस्तियां तथा दायित्व;

(ख) नवीन मन्डी-क्षेत्रों की मन्डी समितियों के बीच आस्तियों तथा दायित्वों का प्रभाजन;

(ग) वह रीति, जिसमें मूल मन्डी-क्षेत्र की मन्डी समिति के विद्यमान अधिकारी, सेवक तथा अन्य स्थायी कर्मचारी नवीन मन्डी-क्षेत्रों की मन्डी समितियों द्वारा संविलीन किये जाने चाहिये;

(घ) साधारणतः नवीन मन्डी-क्षेत्रों की मन्डी समितियों के गठन से आनुषंगिक, अनुपूरक तथा पारिणामिक समस्त विषयों के सम्बन्ध म.

(३) उपधारा (२) में निर्दिष्ट की गई रिपोर्ट राज्य सरकार के पास भेजी जायगी जो कि उसे ऐसी रीति में प्रकाशित करेगी जैसी कि विहित की जाय.

(४) हितबद्ध कोई भी व्यक्ति, रिपोर्ट में की गई प्रस्थापनाओं के विरुद्ध उसके प्रकाशन की तारीख से एक मास के भीतर, राज्य सरकार को लिखित अभ्यावेदन कर सकेगा.

(५) उपधारा (४) में विनिर्दिष्ट की गई कालावधि का अवसान हो जाने पर राज्य सरकार उपधारा (२) के अधीन नियुक्त किये गये अधिकारी रिपोर्ट पर तथा प्राप्त हुए अभ्यावेदनों पर, यदि कोई हों, विचार कर सकेगी और उनके सम्बन्ध में ऐसे आदेश पारित कर सकेगी जैसे कि वह उचित समझे.

(६) समस्त ऐसी बातों पर दिये गये राज्य सरकार के आदेश अन्तिम होंगे और किसी भी विधि न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किये जायंगे.

नवीन मंडी समिति द्वारा या उसके विरुद्ध वाद.

७४. (१) ऐसे विषयों के संवन्ध में, जो कि पूर्ववर्ती धारा के अधीन राज्य सरकार के विनिश्चय के अन्तर्गत आते हों, नवीन मन्डी क्षेत्र की मन्डी समितियां पृथक् पृथक् मूल, मन्डी-क्षेत्रों की मन्डी समिति द्वारा वाद चलाये जाने तथा उसके विरुद्ध वाद चलाये जाने के प्रयोजनों के लिये या ऐसे लम्बित वादों या कार्यवाहियों को, जो कि उक्त मन्डी समिति द्वारा या उसके विरुद्ध चलाई गई हों, चालू रखा जाने के लिये मूल मन्डी समिति की प्रतिनिधि समझी जायगी.

(२) ऐसे विषयों के संवंध में, जो कि पूर्ववर्ती धारा के उपबन्धों के अधीन राज्य सरकार के विनिश्चय के अन्तर्गत न आते हों, नवीन मन्डी क्षेत्रों की मन्डी समितियां, संयुक्त रूप से, मूल मन्डी क्षेत्र की मन्डी समिति द्वारा वाद चलाये जाने तथा उसके विरुद्ध वाद चलाये जाने के प्रयोजनों के लिये या ऐसे लंवित वादों या कार्यवाहियों, को, जो कि उक्त मन्डी समिति द्वारा या उसके विरुद्ध चलाई गई हों, चालू रखे जाने के लिये, मूल मन्डी क्षेत्र की मन्डी समिति की प्रतिनिधि समझी जायेंगी.

(३) यदि नवीन मन्डी-क्षेत्रों की मन्डी समितियों के वीच, किसी डिग्री या आदेश के अधीन उनके अपने अपने दायित्व या दावें के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न हो, तो मामला राज्य सरकार को निदेशित किया जायगा जिसका कि विनिश्चय अन्तिम होगा.

समामेलित या विपाटित मंडी समिति या समितियों के विद्यमान कर्मचारियों के संबंध में व्यावृत्ति.

७५. जव धारा ६८ के अधीन दो या अधिक मन्डी समितियों के समामेलन द्वारा एक नवीन मन्डी समिति गठित की जाय या जहां किसी विद्यमान मन्डी समिति को विपाटित करके दो या अधिक नवीन मन्डी समितियां गठित की जायं, वहां समामेलित या विपाटित मन्डी समिति या समितियों के समस्त स्थायी अधिकारियों तथा सेवकों या अन्य कर्मचारियों के वेतन तथा भत्ते, पेंशन तथा निवृत्ति लाभ, यदि कोई हों, वे ही वेतन तथा भत्ते, पेन्शन तथा निवृत्ति लाभ होंगे जो कि यथास्थिति समामेलन या विपाटन की तारीख के ठीक पूर्व प्रवृत्त थे.

तेरहवां अध्याय—नियम तथा उपविधियां

नियम बनाने की शक्ति.

७६. (१) राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये, पूर्व प्रकाशन के पश्चात् नियम बना सकेगी.

(२) विशिष्टतया तथा पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित के लिये उपबन्ध हो सकेंगे:—

(एक) धारा ३(१) के अधीन अधिसूचना के प्रकाशन की अन्य रीतियां;

(दो) (क) अर्हताएं जो कृषकों के प्रतिनिधियों में धारा ११ (१) (क) के अधीन होंगी;

(ख) अर्हताएं जो व्यापारियों के प्रतिनिधियों में धारा ११ (१) (ख) के अधीन होंगी;

(ग) धारा ११ (२) के अधीन प्राधिकारी जो निर्वाचन का संचालन करेगा, निर्वाचन क्षेत्रों का अवधारण, मतदाताओं की सूची तैयार करना तथा उन्हें बनाये रखना, निर्वाचित होने के लिये अर्हित व्यक्ति, सदस्य के रूप में चुने जाने या सदस्य होने संबंधी निरर्हताएं, मत देने का अधिकार, निक्षेप का भुगतान तथा

उसका समपहरण, निर्वाचन अपराधों, निर्वाचन संबंधी विवादों का अवधारण तथा उसके आनुषंगिक समस्त विषय;

(तीन) मंडी समिति एवं उसके अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली शक्तियां तथा पालन किये जाने वाले कर्तव्य;

(चार) मंडी समिति के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का निर्वाचन;

(पांच) मंडी का प्रबंध, मंडी फीस की वसूली के लिये प्रक्रिया, मंडी फीस के अपवंचन के लिये जुर्माना तथा विवरणियां देने में व्यतिक्रम होने की दशा में मंडी फीस के निर्धारण के लिये प्रक्रिया;

(छः) अनुज्ञप्ति की मंजूरी के लिये मंडी कृत्यकारियों का वर्गीकरण, इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्तियों का विनियमन, वे व्यक्ति जो अनुज्ञप्ति लेने के लिये अपेक्षित हैं, वे प्ररूप जिनमें तथा वे निबंधन तथा शर्तें जिनके अध्यधीन रहते हुए ऐसी अनुज्ञप्तियां जारी की जायंगी या नवीकृत की जायंगी;

(सात) सम्मिलन करने की पद्धति तथा रीति और ऐसे सम्मिलनों में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया;

(आठ) ऐसे व्यक्तियों के लिये उपबंध जिनके द्वारा तथा प्ररूप जिनमें दस्तावेजों की प्रतिलिपियां तथा मंडी समिति की पुस्तकों में की प्रविष्टियां प्रमाणित की जा सकेंगी और ऐसी प्रतिलिपियों के प्रदाय के लिये उद्‌ग्रहित किये जाने वाले प्रभार;

(नौ) उन बांटों तथा मापों एवं तौलने तथा मापने के उपकरणों का प्रकार तथा विवरण जो मंडी प्रांगण में, अधिसूचित कृषि उपज के संव्यवहारों में उपयोग में लाये जायेंगे;

(दस) मंडी प्रांगण में उपयोग में लाये जा रहे समस्त बांटों तथा मापों का और तौलने तथा मापने के उपकरणों का नियतकालिक निरीक्षण;

(ग्यारह) व्यापारिक छूट, जो मंडी प्रांगण में, अधिसूचित कृषि उपज के किसी संव्यवहार में किसी व्यक्ति द्वारा दी जा सकेगी या प्राप्त की जा सकेगी;

(बारह) अधिसूचित कृषि उपज के किसी क्रेता तथा विक्रेता या उनके अधिकर्त्ताओं के बीच होने वाले किसी विवाद के, जिसके अंतर्गत वस्तुओं की क्वालिटी या तौल, बेचे गय माल की कीमत के बारे में किये गये भुगतान तथा वेष्टकों, पात्रों, कचरे या अशुद्धताओं के लिये दी गई छूटों या किसी भी कारण से की गई कटौतियों से संबंधित विवाद आते हैं, मध्यस्थता द्वारा, माध्यस्थम् द्वारा या अन्यथा परिनिर्धारण के लिये सुविधाएं;

(तेरह) मंडी में लाई गई किसी कृषि उपज का संग्रह करने के लिये स्थान की व्यवस्था;

(चौदह) समिति के व्यय से अंशतः या पूर्णतः निर्मित किये जाने के लिये प्रस्थापित निर्माण-कार्यों के रेखांकों तथा प्राक्कलनों का तैयार किया जाना और ऐसे रेखांकों तथा प्राक्कलनों के लिये मंजूरी दी जाना;

(पन्द्रह) वह प्ररूप जिसमें मंडी समिति के लेखे रखे जायंगे, ऐसे लेखाओं की संपरीक्षा तथा प्रकाशन, ऐसी संपरीक्षा के हेतु लिये जाने वाले प्रभार;

यदि कोई हों, और लेखाओं के संपरीक्षा ज्ञापनों का निरीक्षण और ऐसे ज्ञापनों का प्रदाय;

(सोलह) वार्षिक बजट का तैयार किया जाना और उसे मंजूरी के लिये प्रस्तुत किया जाना तथा मंडी समिति द्वारा दी जाने वाली रिपोर्ट तथा विवरणियां;

(सत्रह) समय, जिसके दौरान तथा वह रीति जिसमें कोई व्यापारी या दलाल या आढ़तिया मंडी समिति को ऐसी विवरणियां, जैसी कि उसके द्वारा अपेक्षित की जायं, देगा;

(अठारह) दलालों या आढ़तियों या व्यापारियों द्वारा कृषकों को दिये गये अग्रिमों का, यदि कोई हों, विनियमन;

(उन्नीस) कृषि-उपज का श्रेणीकरण तथा मानकीकरण;

(बीस) कृषि-उपज की आमद तथा उसके औसत मूल्यों का अभिलेख रखना;

(इक्कीस) रीति, जिसमें कृषि उपज का मंडी में नीलाम संचालित किया जायगा और बोली लगाई जायगी तथा प्रतिग्रहित की जायगी;

(बाईस) इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उद्ग्रहणीय फीस की वसूली तथा उसका व्ययन;

(तेईस) इस अधिनियम के या उसके अधीन बनाये गये नियमों या उपविधियों के अधीन अपराधों का शमन किया जाना तथा उसके लिये प्रतिकर का नियत किया जाना;

(चौबीस) राज्य-विपणन-सेवा के गठन की रीति;

(पच्चीस) राज्य-विपणन-सेवा के सदस्यों की भर्ती, अर्हता, नियुक्ति, पदोन्नति, वेतनमान, छुट्टी, छुट्टी-भत्ता, कार्यकारी-भत्ता, उधार, पेंशन, उपदान, वार्षिकी, अनुकम्पा-निधि, भविष्य-निधि, पदच्युति, हटाया जाना, आचरण, विभागीय दंड, अपील तथा अन्य सेवा शर्तें;

(छब्बीस) उस व्यय की, जो कि विशिष्ट अतिथियों के स्वागत में उपगत किया जा सकेगा, सीमा;

(सत्ताईस) अध्यक्ष का मानदेय, सदस्यों का यात्रा-भत्तों तथा सम्मिलन में हाजिर होने के लिये सदस्यों को देय बैठक फीस की सीमाएं;

(अट्ठाईस) मंडी समिति-निधि में के अधिशेष के विनिधान की रीति;

(उन्तीस) उपविधियां विरचित करने, उनमें संशोधन करने या उन्हें रद्द करने के लिये और उनके पूर्व एवं अंतिम प्रकाशन के लिये प्रक्रिया;

(तीस) इस अधिनियम के समस्त या किन्हीं भी प्रयोजनों के लिये मंडी समितियों का वार्षिक आय के आधार पर वर्गीकरण;

(इकत्तीस) बोर्ड के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली शक्तियां;

(बत्तीस) वे समस्त बातें जिनका कि इस अधिनियम के अधीन नियमों द्वारा विहित किया जाना अपेक्षित हो;

(तेंतीस) साधारणतः मण्डी समिति के मार्ग-दर्शन के लिये;

(३) किसी नियम को बनाने में राज्य सरकार यह निदेश दे सकेगी कि उसका भंग जुर्माने से, जो दो सौ रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा.

(४) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम विधान सभा के पटल पर रखा जायगा.

७७. (१) इस अधिनियम के तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए मंडी समिति अपने प्रबंधाधीन मंडी-क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित के लिये उपविधियां बना सकेगी :—

उपविधियां बनाने की शक्ति

(एक) उसके कारबार का विनियमन;

(दो) मण्डी में व्यापार करने की शर्तें;

(तीन) उसके अधिकारियों तथा सेवकों की नियुक्ति तथा दण्ड;

(चार) ऐसे अधिकारियों तथा सेवकों की शक्तियों, कर्त्तव्यों तथा कृत्यों का प्रत्यायोजन, उनको वेतनों, पेन्शनों, उपदानों तथा छुट्टी-भत्तों का भुगतान और उनके द्वारा किसी भविष्य-निधि के प्रति जो ऐसे अधिकारियों तथा सेवकों के फायदे के लिये स्थापित की जायं, अभिदाय;

(पांच) किसी उप समिति की, यदि कोई हो, शक्ति, कर्त्तव्यों तथा कृत्यों का प्रत्यायोजन;

(छः) ऐसे व्यक्तियों का वर्ग जो अनुज्ञप्ति लेने के लिये अपेक्षित होंगे;

(सात) कोई अन्य विषय जिसके कि लिये इस अधिनियम के अधीन उपविधियां बनाई जानी हों या जिनके कि संबंध में यह आवश्यक हो कि मण्डी-क्षेत्र में इस अधिनियम के या उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिये उप-विधियां विरचित की जायं.

(२) उपधारा (१) के अधीन बनाई गई कोई भी उपविधि तब तक प्रभावी नहीं होगी जब तक कि उसकी पुष्टि संचालक द्वारा न कर दी गई हो.

(३) किसी उपविधि को बनाने में मण्डी समिति यह निदेश दे सकेगी कि उसका (उपविधि का) भंग जुर्माने से, जो पचास रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा तथा जहां भंग चालू रहने वाला भंग हो, वहां ऐसे और जुर्माने से दण्डनीय होगा जो प्रथम भंग के पश्चात् प्रत्येक ऐसे दिन के लिये, जिसके कि दौरान भंग चालू रहना साबित हो जाय, पांच रुपये तक का हो सकेगा.

७८. (१) यदि संचालक को यह प्रतीत हो कि किसी मण्डी या मण्डी समिति के हित में कोई उपविधियां बनाना या किन्हीं उपविधियों को संशोधित करना आवश्यक या वांछनीय है तो वह, आदेश द्वारा, संबंधित मण्डी समिति से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह (मण्डी समिति) ऐसे समय के भीतर, जैसा कि वह ऐसे आदेश में विनिर्दिष्ट करे, उपविधि बनाये या उपविधि को संशोधित करे.

उपविधियां बनाने या उनमें संशोधन करने के लिये निदेश देने की संचालक की शक्ति.

(२) यदि मण्डी समिति विनिर्दिष्ट किये गये समय के भीतर ऐसी उपविधि बनाने में या उपविधि को इस प्रकार संशोधित करने में असफल रहे, तो संचालक, मण्डी समिति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्, आदेश द्वारा ऐसी उपविधि बना सकेगा या उपविधि को इस प्रकार संशोधित कर सकेगा और तदुपरि उपधारा (३) के अधीन किसी आदेश के अध्यधीन रहते हुए, ऐसी उपविधि, ऐसा संशोधन, इस अधिनियम के या उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अनुसार मण्डी समिति द्वारा बनाई गई या संशोधित की गई समझी जायगी और तदुपरि ऐसी उपविधि या संशोधन मण्डी समिति पर आबद्धकर होगा/होगी.

(३) उपधारा (२) के अधीन संचालक के किसी आदेश के विरुद्ध अपील, ऐसे आदेश की तारीख से तीस दिन के भीतर, राज्य सरकार को होगी और ऐसी अपील पर राज्य सरकार का आदेश अन्तिम होगा.

चौदहवां अध्याय—निरसन तथा व्यावृत्ति

निरसन तथा व्यावृत्तियां.

७९. (१) मध्यप्रदेश एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट्स एक्ट, १९६० (क्रमांक १९ सन् १९६०), मध्यप्रदेश एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट्स (वैलीडेशन) एक्ट, १९६२ (क्रमांक १२ सन् १९६२), मध्यप्रदेश कृषि-उपज मण्डी समिति (निर्वाचन, स्थगन, निरसन) अधिनियम, १९६७ (क्रमांक २४ सन् १९६७), मध्यप्रदेश कृषि-उपज मण्डी (संशोधन) अधिनियम, १९६८ (क्रमांक १ सन् १९६८), तथा मध्यप्रदेश कृषि-उपज मण्डी (संशोधन तथा विधिमान्यताकरण) अधिनियम १९७० (क्रमांक २ सन् १९७०) एतद्द्वारा निरस्त किये जाते हैं.

(२) ऐसे निरसन के होते हुए भी—

(एक) उक्त अधिनियमों या उनके द्वारा निरस्त हुई किसी अधिनियमिति के अधीन गठित या नियुक्त की गई समस्त मण्डी समितियां, स्थापित की गई मण्डियां, घोषित किये गये मण्डी-क्षेत्र, अधिसूचित की गई कृषि-उपज, बनाये गये नियम या बनाई गई उपविधियां, जारी की गई अधिसूचना, उद्ग्रहीत की गई फीस, की गई संविदाएं, मंजूर की गई अनुज्ञप्तियां, संस्थित किये गये वाद तथा की गई कार्यवाहियां या की गई कोई अन्य बातें या किये गये कार्य, जहां तक कि वे इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हों, इस अधिनियम के अधीन क्रमशः गठित की गई, नियुक्त की गई, बनाये गये/बनाई गई, जारी की गई, उद्ग्रहीत की गई, की गई, मंजूर की गई, संस्थित किये गये, की गई, या किये गये समझे जायंगे/जायंगी जब तक कि वे इस अधिनियम के अधीन की गई किसी बात या किये गये किसी कार्य द्वारा अतिष्ठित न कर दिये जायं या अतिष्ठित न कर दी जायं.

जब तक कि राज्य सरकार अन्यथा निदेशित न करे, खण्ड (१) म निर्दिष्ट की गई मण्डी समितियां तथा उनके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य निरसित अधिनियम के अधीन अपनी अवधि/पदावधि का अवसान न होने तक या इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार मण्डी समिति के गठित होने तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, अपने पद पर बने रहेंगे/बनी रहेंगी.

अनुसूची

[धारा २ (१) (क) देखिये]

एक—तन्तु

१. कपास (विनोला रहित तथा विनोला सहित)
२. सन
३. अम्बाड़ी

दो—धान्य

१. धान (छिलका रहित तथा छिलका सहित)
२. गेहूं
३. जौ
४. ज्वार
५. मक्का, भुट्टा
६. बाजरा
७. कोदों
८. सावां/समा
९. कुटकी
१०. राला/कंगनी/कोकण/मडेली
११. रागी/मडगी/मड़ना
१२. राजगिरा
१३. सोयाबीन
१४. कूटू

तीन—दालें

१. तूअर/अरहर (खड़ी तथा दली हुई)
२. चना (खड़ा तथा दला हुआ)
३. मटर/बटाना/बटूरा/बटरा (खड़ी तथा दली हुई)
४. मसूर या मसूरी (खड़ी तथा दली हुई)
५. लाख /तिवड़ा (खड़ा तथा दला हुआ)
६. मूंग (खड़ी तथा दली हुई)
७. उड़द/उरदा (खड़ी तथा दली हुई)
८. कुलथी (खड़ी तथा दली हुई)
९. लोविया या मोठ मुगथी/मटकी (खड़ी तथा दली हुई)
१०. चौली या बरबटी (खड़ी तथा दली हुई)
११. सेम या सेमी/वल्हर (खड़ी तथा दली हुई)

चार—तिलहन तथा खाने योग्य तेल

१. तिल्ली या तिल
२. अलसी/अरसी/तिसी
३. मूंगफली
४. राई
५. सरसों
६. अरण्डी/अन्डी/रेंडी
७. कुसुम/करेंडी
८. रमतिल्ली/जगनी
९. बिनोला
१०. महुआ/गुल्ली
११. सोंटा
१२. लाहा
१३. कोढ़ा

पांच—स्वापक

१. तम्बाकू
२. पान

छः—गन्ना तथा गुड़

१. गन्ना
२. गुड़

सात—फल

१. सन्तरा
२. नींबू
३. मीठा नींबू
४. चकोतरा
५. आम
६. केला
७. अमरूद/जाम/बिही
८. अंगूर
९. सीताफल/शरीफा
१०. रामफल
११. पपीता/पपई
१२. सेव
१३. जामुन
१४. बेर

१५. चीकू / सपाटू
१६. खिरनी
१७. अनार
१८. तरबूज
१९. खरबूज
२०. नासपाती
२१. मोसम्बी
२२. ककड़ी

आठ—सब्जियां

१. सेम या सेमी
२. लोबिया/छोटी सेम
३. भारतीय सेम/सेमी/पोपट
४. सेम बरबटी
५, गंवार फली
६. बैंगन/भटा
७. पत्ता गोभी
८. फूल गोभी
९. चौलाई साग
१०. चवली (लाल)/लाल साग
११. खट्टा पालक
१२. तुरई
१३. करेला
१४. लौकी
१५. कुम्हड़ा
१६. कुंदरु
१७. परवल
१८. गांठ गोभी
१९. मैंथी भाजी
२०. पालक भाजी
२१. घोल भाजी
२२. भिण्डी
२३. टमाटर/भेदरा
२४. मटर
२५. कटहल
२६. अरबी/घुइया/कुचूई/कचालू
२७. चुकन्दर
२८. गाजर

२९. प्याज
३०. आलू
३१. शकरकन्द/पिडीया/पिंडी
३२. मूली/मुरई
३३. सलगम
३४. टिण्डा
३५. सूरन
३६. अन्य हरी एवं ताजी सब्जियां

नौ—पशु एवं पशुपालन से प्राप्त उत्पादन

१. पशु
२. भेड़
३. बकरी
४. मुर्गे तथा मुर्गियां
५. बतख
६. घी
७. मछली
८. अण्डे
९. खोवा
१०, खाल
११. चमड़ी
१२: सुअर के बाल

दस—[चटनी मसाले तथा अन्य वस्तुएं] मिर्च, मसाले तथा अन्य वस्तुयें

१. मिर्चें (गिली तथा सूखी)
२. धनिया
३. हल्दी
४. लहसुन (गीला तथा सूखा)
५. अदरक (गीला तथा सूखा)
६. मेथी दाना
७. अजवाइन
८. इमली
९. सौंफ
१०. जीरा
११. राई
१२. असगन्ध
१३. पोस्त तथा खसखस

ग्यारह—घास तथा चारा

१. हरा तथा सूखा
२. खली
३. भूसा

बारह—वन उपज

१. लाख
२. हर्रा
३. आंवला
४. बहेड़ा
५. चिरौंजी
६. गोंद सब प्रकार का
७. शहद
८. मोम
९. करेली
१०. महुए के फूल
११. बांस

तेरह—अन्य वस्तुएं

१. सन बीज
२. गुवार
३. सिंघाड़ा

शाकेमुभो—१०५९—१७-९-७१—६५०.

CHECKED
2003-04